

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृ.सं.
1	अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध	3
2	सांविधिक (एसएलआर) निवेश	4
3	निवेश नीति	4
4	सामान्य दिशानिर्देश	5
5	एसजीएल खातों के जरिए लेनदेन का निपटान	10
6	दलालों को रखना	13
7	सीसीआईएल के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेनों के संबंध में निपटान	14
8	शेयर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार	15
9	रेपो/ रिवर्स रेपो लेनदेन	17
10	सरकारी प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेल	17
11	सरकारी प्रतिभूति में जब जारी	18
12	गैर एसएलआर निवेश	18
13	आंतरिक नियंत्रण और निवेश लेखाकरण	24
14	घोष समिति की सिफारिशें	25
15	निवेशों का वर्गीकरण	26
16	निवेश मूल्यन	28
17	निवेश उतार चढ़ाव प्रारक्षित निधि	31
अनुलग्नक		
I	दलालों की सीमा के संबंध में कतिपय स्पष्टीकरण	33
II	कुछ शब्दों की परिभाषा	35
III	रिपो/ रिवर्स रेपोलेनदेन के लेखाकरण के लिए दिशानिर्देश	36
III(ए)	रिपो/ रिवर्स रेपोलेनदेन के लिए संस्तुत लेखाकरण पद्धति	39
III(बी)	रिपो/ रिवर्स रेपोलेनदेन के लेखाकरण के उदाहरण	41
IV	एआरसी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश	49
परिशिष्ट		
ए	प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश पर मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची	54
बी	अन्य परिपत्रों की सूची जिनसे निवेशों से संबंधित अनुदेशों को मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है	66

मास्टर परिपत्र
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश

1. अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध

1.1 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) यह निर्धारित करती है कि कोई सहकारी बैंक अन्य किसी सहकारी सोसायटी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसके पक्ष में निर्धारित की गई इस प्रकार की सीमा से बाहर तथा इस प्रकार की शर्तों के विपरित शेयर नहीं रखेगा। तथापि, उपर्युक्त धारा में निहित प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता -

1.1.1 उस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों के जरिए अर्जित शेयर;

1.1.2 मध्यवर्ती सहकारी बैंक के मामले में राज्य सहकारी बैंक में शेयर रखना जिससे यह संबद्ध है;

1.1.3 किसी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक के मामले में जिस मध्यवर्ती सहकारी बैंक से वह संबद्ध है उसमें अथवा उस राज्य के राज्य सहकारी बैंक में जिसमें वह पंजीकृत है, शेयर रखना

1.2 बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि जिस सीमा तक और जिन शर्तों के अधीन सहकारी बैंक अन्य किसी सहकारी सोसायटी में शेयर रख सकते हैं वे निम्नवत् हैं:

1.2.1 उपर्युक्त पैरा 1.1.1 से 1.1.3 तक में वर्णित किसी एक श्रेणी में आने वाली संस्थाओं के शेयर में सहकारी बैंक का कुल निवेश उसकी स्वाधिकृत निधियों(चुकता शेयर पूंजी तथा प्रारक्षित निधियां) के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

1.2.2 उपर्युक्त पैरा 1.2.1 के अंतर्गत आने वाली किसी एक सहकारी संस्था के शेयरों में बैंक का निवेश उस संस्था की निर्धारित पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

टिप्पणी:

उक्त पैरा 1.2.1 के अंतर्गत श्रेणी में आने वाली किसी सहकारी सोसायटी के शेयरों में एक से अधिक सहकारी बैंक अंशदान करते हैं तो उपर्युक्त अभिदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत की सीमा न केवल उनमें से प्रत्येक बैंक के निवेश के संबंध में बल्कि एक साथ जोड़कर सभी बैंकों के निवेश के संबंध में लागू होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, सभी सहकारी बैंकों का कुल निवेश संबंधित संस्था की अभिदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए।

किसी सहकारी बैंक को उपर्युक्त पैरा 1.2.1 के अंतर्गत आने वाली किसी सहकारी सोसायटी के शेयरों में अपना अंशदान करने का प्रस्ताव केवल तभी देना चाहिए जब प्राप्तकर्ता सोसायटी के उप-नियमों में उसके द्वारा अंशदान की गई शेयर पूजी के भुगतान की समाप्ति के बारे में प्रावधान किया गया हो।

- 1.2.3 उपर्युक्त पैरा 1.2.1 के अंतर्गत आने वाली किसी सोसायटी के शेयरों में किसी बैंक द्वारा अंशदान में दी गई शेयर पूजी का भुगतान संबंधित सोसायटी द्वारा व्यवसाय उत्पादन आरंभ करने वाले वर्ष के तुरंत बाद आनेवाले सहकारी वर्ष से आरंभ 10 समान वार्षिक किस्तों में पूरा कर लिया जाना चाहिए।
- 1.2.4 किसी सहकारी बैंक को रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना उपर्युक्त पैरा 1.2.1 के अंतर्गत आने वाली किसी सोसायटी की शेयर पूजी में अंशदान नहीं करना चाहिए यदि सोसायटी उसके परिचालन क्षेत्र के बाहर स्थित है।
- 1.2.5 उपर्युक्त प्रतिबंध सहकारी बैंकों द्वारा पारस्परिक हितों (उदाहरणार्थ सहकारी बैंक एसोसिएशन) या सहकारी शिक्षा आदि (उदाहरणार्थ राज्य सहकारी संघ) अथवा स्वामित्व के आधार आदि पर परिसर अर्जित करने के प्रयोजन से आवासीय सहकारी सोसायटीयों के लिए गठित सोसायटियों जैसी अलाभकारी सहकारी सोसायटीयों में शेयर धारिताओं पर लागू नहीं होंगे।

2. सांविधिक (एसएलआर) निवेश

2.1 शहरी सहकारी बैंकों के लिए एसएलआर का अनुरक्षण

बैंक एसएलआर के रखरखाव पर मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] निदेश, 2021 को देखें।

3. निवेश नीति

- 3.1 विभिन्न विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों तथा बैंक की अपनी आंतरिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक व्यापक निवेश नीति तथा निवेश संबंधी लेनदेन करने के दौरान हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। निवेश नीति की हर साल समीक्षा की जानी चाहिए। निदेशक मंडल/समिती/ उच्च प्रबंधन को निवेश संबंधी लेनदेनों का मुस्तैदी से पर्यवेक्षण करना चाहिए। बैंकों को संविभाग प्रबंधन योजना (पीएमएस) के ग्राहक की तरफ से उनकी प्रत्ययी हैसियत से तथा अन्य ग्राहकों की तरफ से न तो उनके निवेश के अभिरक्षक के रूप में या पूर्णतः उनके एजेंट के रूप में कोई लेनदेन नहीं करना चाहिए।

- 3.2 बैंक की निवेश नीति में सौदा करने वाले प्राधिकारी, समुचित प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने, सौदा करने, विभिन्न विवेकपूर्ण ऋण सीमाओं को निर्धारित करने तथा सूचना देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए।
- 3.3 बैंक की निवेश नीति में इसके अपने निवेश खाते में धारित की जाने वाली प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति की मात्रा (उच्चतम सीमा) तथा गुणवत्ता संबंधी दिशा निर्देश शामिल होने चाहिए। निवेश नीति समय-समय पर निबंधक, सहकारी सोसायटियां (सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक, जहां लागू है) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का पूरी तरह अवलोकन करने के बाद बनानी चाहिए तथा इसमें आंतरिक नियंत्रण तंत्र, लेखाकरण संबंधी मानकों, लेखा परीक्षा, समीक्षा, तथा विकसित की जाने वाली सूचना प्रणाली की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए।
- 3.4 सभी लेनदेनों का स्पष्ट रूप से अभिलेख रखना चाहिए जिससे पूर्ण ब्योरे प्रदर्शित हों। उच्च प्रबंधन को निवेश संबंधी लेनदेनों की सावधानीपूर्वक आवधिक समीक्षा करनी चाहिए तथा बड़े लेनदेन निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ रखना चाहिए।
- 3.5 बैंकों द्वारा अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से निर्मित आंतरिक निवेश नीति संबंधी दिशा-निर्देशों की एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित की जानी चाहिए जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि निवेश नीति निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है तथा उसे लागू कर दिया गया है। निवेश नीति में बाद के परिवर्तनों, यदि कोई हो, की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को भी देनी चाहिए।
- 3.6 गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश के लिए, बैंकों को अपनी निवेश नीति की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह निवेश करने के उद्देश्य से किए जाने वाले निवेशों की प्रकृति और सीमा, जोखिम मापदंडों और निवेश करने के लिए कटौती-हानि सीमा प्रदान करता है। बैंकों को गैर-एसएलआर निवेशों के संबंध में जोखिम नियंत्रित करने, विश्लेषण करने और समय पर उपचारात्मक उपाय करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना चाहिए। बैंकों को इस मास्टर परिपत्र के अनुच्छेद 12 में दिए गए निदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित करना है।

4. सामान्य दिशानिर्देश

- 4.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को मूलधन से मूलधन के आधार पर दलाल फर्मों या अन्य बिचौलिया कंपनियों के साथ कोई क्रय/ विक्रय नहीं करना चाहिए।

- 4.2 बैंकों को किसी प्रतिभूति में खरीद से अधिक बिक्री की स्थिति नहीं रखनी चाहिए सिवाय उन बैंकों के जो इस मास्टर परिपत्र के अनुच्छेद 10 में निर्धारित सरकारी प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेल करने के पात्र हैं। तथापि, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक ऐसी किसी सरकारी प्रतिभूति को बेच सकते हैं जिनकी खरीद के लिए पहले ही संविदा की जा चुकी हो, बशर्ते :
- 4.2.1 खरीद संविदा की पुष्टि बिक्री से पहले हो गई हो,
- 4.2.2 खरीद संविदा सी बी आई एल द्वारा गारंटीकृत हो या प्रतिभूति रिज़र्व बैंक द्वारा खरीद के लिए संविदाकृत हो तथा,
- 4.2.3 बिक्री लेनदेन का निपटान या तो उसी निपटान चक्र में किया जाएगा जिसमें पूर्ववर्ती खरीद संविदा का किया गया था या बाद के किसी निपटान चक्र में ताकि बिक्री संविदा के अंतर्गत सुपुर्दगी बाह्यता खरीद संविदा के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूतियों द्वारा पूरी की जा सके (उदाहरणार्थ जब कोई प्रतिभूति टी + 1 आधार पर खरीदी जाती हो तो उसे खरीद के दिन टी + 0 या टी + 1 आधार पर बेचा जा सकता है; तथापि यदि इसे टी + 1 आधार पर खरीदा जाता हो तो उसे खरीद के दिन टी + 1 या अगले दिन टी + 0 या टी + 1 आधार पर बेचा जा सकता है)। आबंटन तारीख में प्रारंभिक निर्गम में सफल बोली लगाने वालों को आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, जो सीएसजीएल के संघटक खाता धारकों के साथ या उनके बीच का है, के लिए अनुमति दी गई है।
- 4.3 खुले बाजार परिचालनों (ओएमओ) के माध्यम से रिज़र्व बैंक से प्रतिभूतियों की खरीद के लिए रिज़र्व बैंक से आबंटन के सौदे/ सूचना की पुष्टि प्राप्त होने से पहले बिक्री संबंधी किसी लेनदेन की संविदा नहीं की जानी चाहिए।
- 4.4 बैंकों को इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भरपूर सावधानी बरतनी चाहिए। संगामी लेखा परीक्षकों को विशेष रूप से इन अनुदेशों के अनुपालन का सत्यापन करना चाहिए। संगामी लेखा परीक्षा की रिपोर्टों में उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन से संबंधित विशेष टिप्पणियाँ होनी चाहिए तथा उन्हें बैंक के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट तथा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली छः माही समीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। सी सी आई एल अपनी दैनिक रिपोर्टों के एक भाग के रूप में सभी बाजार सहभागियों को एन डी एस से प्राप्त सभी लेनदेनों का समय प्रदर्शित करने वाला मोहर उपलब्ध कराएगा। मिड ऑफिस तथा लेखा परीक्षक अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए लेनदेनों की अपनी जाँच/समीक्षा के पूरक के रूप में इस सूचना का

उपयोग कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी में आए किसी उल्लंघन की सूचना तुरंत भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दी जानी चाहिए। इस संबंध में जानकारी में आए किसी उल्लंघन पर दंड लगाए जाएंगे जो वर्तमान में आवश्यक समझे जाने पर आगे की विनियामक कार्रवाई के अलावा सहायक सामान्य लेखा (एस जी एल) फ़ार्म के नकारा होने पर लागू होते हैं भले ही डी वी पी III के अंतर्गत समायोजन फायदे के कारण सौदा समायोजित कर लिया गया हो ।

4.5 सरकारी प्रतिभूतियों के प्रारंभिक निर्गम की नीलामी में सफल बैंक नीचे दी गई शर्तों के अनुसार आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए संविदाएं कर सकते हैं:

4.5.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई किसी प्रमाणित आबंटन सूचना के आधार पर आबंटित बैंक द्वारा केवल एक बार बिक्री हेतु संविदा की जा सकती है। बिक्रेता बैंक को आबंटन सूचना पर समुचित टिप्पणी/मोहर लगानी चाहिए जिसमें बिक्री संविदा संख्या आदि दर्शाई गई हो जिसके ब्योरे की सूचना क्रेता संस्था को दी जानी चाहिए। प्रतिभूतियों की किसी प्रकार की बिक्री केवल टी + 0 या टी + 1 समायोजन आधार पर की जानी चाहिए।

4.5.2 बैंक आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए संविदा केवल उन्हीं संस्थाओं के साथ कर सकते हैं जिन संस्थाओं का सुपुर्दगी बनाम भुगतान(डीवीपी)पद्धति के माध्यम से अगले कार्य दिवस को सुपुर्दगी तथा निपटान हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक में एस जी एल खाता हो ।

4.5.3 बेची गई प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य आबंटन सूचना में दर्शाई गई प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए ।

4.5.4 दलाल/दलालों के बिना बिक्री का सौदा सीधे नहीं किया जाना चाहिए।

4.5.5 इस प्रकार के बिक्री सौदों का अलग से रेकार्ड रखा जाना चाहिए जिसमें आबंटन सूचना की संख्या तथा तारीख, आबंटित प्रतिभूतियों का विवरण तथा अंकित मूल्य, खरीद, सुपुर्दगी की संख्या, तारीख और बेची गई प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य, बिक्री, वास्तविक सुपुर्दगी की तारीख तथा विवरण आदि जैसे ब्योरे हों। इस रेकार्ड को सत्यापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बैंकों को इस प्रकार के रेकार्ड रखे जाने में चूक के किसी मामले की सूचना तुरंत देनी चाहिए।

4.5.6 प्राथमिक निर्गमों के लिए उसी दिन नीलामियों में आबंटित तथा प्रामाणिक आबंटन सूचना पर आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के इस प्रकार के बिक्री लेनदेनों की संगामी लेखा परीक्षा की जानी चाहिए तथा संबंधित लेखा परिक्षा रिपोर्ट प्रत्येक माह में एक बार बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसकी एक प्रति पर्यवेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, आरबीआई को भी भेजी जानी चाहिए।

- 4.5.7 भुगतान न होने/चेक के नकारे जाने आदि के कारण बैंकों के एसजीएल खाते में प्रतिभूतियों के जमा न होने के चलते संविदाओं में होने वाली किसी चूक के लिए एकमात्र बैंक ही जिम्मेदार होंगे।
- 4.6 बैंको को अपने लेन देनों के लिए प्रतिपक्षी के रूप में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक डीलर (पीडी), वित्तीय संस्था, अन्य यूसीबी, बीमा कंपनी, म्युचुअल फंड या भविष्य निधि से संपर्क करना चाहिए। इस प्रकार प्रति-पक्षों के साथ प्रत्यक्ष सौदों को वरीयता दी जानी चाहिए। यह वांछनीय होगा कि अन्य बैंकों अथवा प्राथमिक डीलरों से कीमतों को नियंत्रित किया जाए जिनके पास यूसीबी का गिल्ट खाता हो। निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम के माध्यम से किए गये लेन देनों सहित सहकारी प्रतिभूतियों में किए गए सभी लेनदेनों की कीमतें भी भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
- 4.7 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक भविष्य निधि, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, उच्च नेटवर्क वाले व्यक्तियों आदि के साथ सरकारी प्रतिभूतियों का खुदरा व्यापार कर सकते हैं बशर्ते :
- 4.7.1 बैंक को बिक्री एवं खरीद के दरमियान बिना किसी प्रतिबंध के प्रभावी बाजार कीमतों पर आउटराइट आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों खरीदने तथा बेचने की स्वतंत्रता हो।
- 4.7.2 सरकारी प्रतिभूतियों का खुदरा व्यापार द्वितीयक बाजार लेनदेनों से उभरने वाली चालू बाजार दरों/ वक्र के आधार पर होना चाहिए।
- 4.7.3 बिक्री के तुरंत बाद बैंक द्वारा उसके बराबर राशि की कटौती अपने निवेश खातों तथा अपनी एसएलआर आस्तियों से भी की जानी चाहिए।
- 4.7.4 बैंक के संगामी/सांविधिक लेखा परीक्षकों को इन लेनदेनों की जांच करनी चाहिए।
- 4.7.5 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर दी गई सूचना के अनुसार अनुसूचित बैंकों को पर्याप्त आंतरिक जांच/प्रणालियों की व्यवस्था करनी चाहिए।
- 4.8 बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत बैंक सीधे अथवा किसी बैंक के जरिए अथवा किसी प्राथमिक डीलर के जरिए भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की किसी नीलामी में दो करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) तक की बोली लगा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी प्रकार की बोली लगाने के हुनर की जरूरत नहीं है क्योंकि दो करोड़ रूपये (अंकित मूल्य) तक का आंबटन अंतिम दर के उस भारित औसत पर किया जाता है जो नीलामी से उभरकर सामने आता है। यूसीबी सीधे अथवा किसी बैंक के जरिए अथवा किसी प्राथमिक डीलर के जरिए प्रतिस्पर्धात्मक और गैर-प्रतिस्पर्धात्मक राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की नीलामी में भी भाग ले सकते हैं जहां ब्याज दर ज्यादातर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले ही निर्धारित और अधिसूचित रहती हैं। एसडीएल की गैर-प्रतिस्पर्धी नीलामी में भागीदारी दिनांक 24 अगस्त 2009 के परिपत्र आईडीएमडी.सं. 954/08.03.001/2009-10 समय-समय पर यथा संशोधित में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। नीलामी की तारीख से 4-5 दिन पहले ही प्रमुख समाचार पत्रों में इस आशय के विज्ञापन जारी कर दिए जाते हैं। भारत सरकार की प्रतिभूतियों का छःमाही नीलामी कैलेंडर भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
- 4.9 इस प्रकार की प्रतिभूतियों को धारण करने के लिए गिल्ट खातों का प्रयोग करना चाहिए तथा इस प्रकार के खाते उसी बैंक में होने चाहिए जिनमें नकदी खाता रखा गया हो।

- 4.10 यदि गिल्ट खाता उपर्युक्त में से किसी गैर बैंकिंग संस्था में खोला गया है तो नामित निधि खाते (किसी बैंक में) के विवरण की सूचना उस संस्था को देनी चाहिए।
- 4.11 सभी लेनदेनों की निगरानी की जानी चाहिए ताकि सुपुर्दगी निपटान के दिन हो सके। निधि खाते तथा निवेश खाते का मिलान कारोबार समाप्त होने से पहले एक ही दिन होना चाहिए।
- 4.12 खरीद और विक्री का निर्णय करने वाले अधिकारी निपटान एवं हिसाब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से अलग होने चाहिए।
- 4.13 निदेशक मंडल को सभी निदेश लेनदनों का महीने में कम से कम एक बार अवलोकन करना चाहिए।
- 4.14 जब बैंक को विशेष रूप से भौतिक एसजीएल ट्रांसफर फॉर्मों को जारी करने की अनुमति प्रदान की गई हो तब बैंक अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों/ भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षकों/ अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्रति-जाँच को सुगम बनाने के लिए प्राप्त किए गए/ जारी किए गए एस जी एल फॉर्मों का समुचित अभिलेख रखें।
- 4.15 बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में सभी खरीद/ विक्री लेनदेन अनिवार्यतः एस जी एल खाते/ सी एस जी एल खाते (भारत में) अथवा गिल्ट खाते (किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ प्राथमिक डीलर/ एसएचसीआईएस में) निक्षेपागारों में अभौतिक खातों (एनएसडीएल/सीएडीएसएल) के जरिए होने चाहिए।
- 4.16 किसी यूसीबी द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में कोई लेनदेन किसी दलाल के जरिए भौतिक रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
- 4.17 सी एस जी एल/ नामित निधि खाते रखने वाली संस्थाओं के लिए नामित निधि खातों में पूरी निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि लेनदेन करने से पहले विक्री के लिए सी एस जी एल खाते में पर्याप्त प्रतिभूतियों की खरीद की जा सके।
- 4.18 प्रतिभूतियों में बैंकों का लेनदेन सामान्यतः बड़े मूल्यों में होता है। इस लिए लेनदेन पूरा करने से पहले संविदा पूर्ण करने की प्रतिपक्षी की क्षमता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा, विशेषतः तब जब कि प्रतिपक्षी एक बैंक न हो।
- 4.19 एस एल आर प्रयोजनों के लिए प्रतिभूतियां खरीदते समय बैंक को प्रति-पक्षी से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बांड जो वह खरीदना चाहता है वह एस एल आर की स्थिति में हैं। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों की एसएलआर स्थिति की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को जारी करते समय दी गयी प्रेस विज्ञप्ति में दर्शायी जाए तथा एसएलआर प्रतिभूतियों की अद्यतन सूची रिजर्व बैंक की वेबसाईट (www.rbi.org.in) पर "भारतीय अर्थव्यवस्था-सांख्यिकी-वित्तीय बाज़ार-सरकारी प्रतिभूतियां बाज़ार के आंकड़े" के अंतर्गत लिंक पर पोस्ट की जाएगी।
- 4.20 जोखिम के संकेद्रण से बचने के लिए बैंकों के पास एक भली प्रकार का बहुमुखी निवेश संविभाग होना चाहिए। छोटे निवेश संविभागों को वरीयतः सरकारी प्रतिभूति जैसी उच्च सुरक्षा एवं तरलता वाली प्रतिभूतियों तक सीमित करना चाहिए।
- 4.21 यूसीबी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में भारतीय प्राथमिक डीलर संघ (पीडीएआई)/ निर्धारित आय तथा मुद्रा बाजार डीलर संघ (फिम्डा) का दिशानिर्देश प्राप्त कर सकते हैं।

तयशुदा लेन-देन प्रणाली – ऑर्डर मैचिंग

- 4.22 18 नवंबर 2011 से सभी लाईसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंक जो 18 नवंबर 2012 के परिपत्र आईडीएमडी.डीओडी.सं. 13/10.25.66/2011-12 में निर्दिष्ट मानदंडों, समय समय पर संशोधित, के अनुसार पात्र

हैं उन्हें एनडीएस ओएम प्लैटफार्म तक सीधी पहुंच की अनुमति दी जाएगी। पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं;

ए) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाता अथवा निधियों के समायोजन के लिए क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा नामित समायोजन बैंकों (डीएसबी) में से एक बैंक के पास निधि खाता।

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सबसिडिएरी जनरल लेजर (एसजीएल) खाता।

सी) तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) की सदस्यता।

डी) इंडियन फिनान्सिअल नेटवर्क (इन्फिनेट) कनेक्टिविटी

इ) सीसीआईएल की सदस्यता

एफ) जोखिम भारित आस्ति अनुपात के 9% की न्यूनतम पूंजी

जी) 5% से कम निवल गैर निष्पादित आस्तियां।

एच) 25 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति।

4.23 सभी पात्र शहरी सहकारी बैंक एनडीएस-ओएम सदस्यता पाने के इच्छुक यूसीबी एनडीएस - ओएम सदस्यता के लिए वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी), आरबीआई को आवेदन करने से पहले विनियामक मंजूरी के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई से संपर्क करें।

4.24 एनडीएस - ओएम सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले पात्र यूसीबी के पास एनडीएस - ओएम के लिए प्रत्यक्ष अभिगम के लिए स्थान पर आवश्यक बुनियादी ढांचा होना तथा बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए आवश्यक खर्च वहन करने की आवश्यकता है। यूसीबी यह नोट करे कि भारतीय रिज़र्व बैंक में एसजीएल खाता खोलने के बाद (जो एनडीएस - ओएम सदस्यता प्राप्त करने के लिए यूसीबी द्वारा पूर्ण किए जाने वाली कई आवश्यकताओं में से एक है) संबंधित यूसीबी एसजीएल खाता धारक के साथ गिल्ट खाता खोल/बनाए नहीं रख सकते हैं। हालांकि, ऐसे यूसीबी, सरकारी प्रतिभूतियों में गैर - प्रतिस्पर्धी बोली - प्रक्रिया की योजना के तहत सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बोली लगाना जारी रख सकते हैं।

5. एसजीएल खाते के जरिए लेनदेनों का निपटान

5.1 एस.जी.एल खाता

5.1.1 एस.जी.एल सुविधा वाले बैंको द्वारा एस.जी.एल खातों के माध्यम से अंतरण केवल तभी किया जा सकता है यदि उनका एक नियमित चालू खाता रिज़र्व बैंक में हो। सरकारी प्रतिभूतियों में सभी प्रकार के लेनदेन जिनके लिए एस.जी.एल सुविधा उपलब्ध है, केवल एस.जी.एल खाते के जरिए किए जाने चाहिए।

5.1.2 बैंकों को चाहिए कि वे एनडीएस/एनडीएस-ओएम पर अपने लेनदेन की रिपोर्ट करें/समापन करें और केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में सीसीआईएल के माध्यम से उनका निपटान/निपटान करें। ऐसे मामलों में जहां अपवादों को विशेष रूप से भौतिक एसजीएल हस्तांतरण प्रपत्रों को निविदा करने की अनुमति दी गई है, एसजीएल हस्तांतरण प्रपत्रों के संबंध में दिशानिर्देशों का भी पालन किया जाना चाहिए।

5.1.3 विक्री लेन देनों को शामिल करने वाले एस.जी.एल अंतरण फार्मों को जारी करने से पहले बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास संबंधित एस.जी.एल खाते में पर्याप्त शेष राशि है। किसी भी परिस्थिति में, किसी बैंक द्वारा किसी दूसरे बैंक के पक्ष में जारी किए गए एस.जी.एल फार्म को एस.जी.एल खाते में पर्याप्त शेष राशि के अभाव में नकारा नहीं जाना चाहिए। क्रेता बैंक को चेक (या

अन्य किसी पात्र माध्यम के द्वारा भुगतान) विक्रेता बैंक से एस जी एल अंतरण फार्म प्राप्त होने के बाद ही जारी करने चाहिए।

5.1.4 यदि एसजीएल अंतरण फार्म एसजीएल खाते में पर्याप्त शेष राशि के अभाव में नकार दिया जाता है, तो जिस बैंक ने फार्म जारी किया है उस पर निम्नलिखित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी :

i. प्रति बार ₹5 लाख के अधिकतम दंड के अधीन वर्गीकृत मौद्रिक दंड:

क्र सं	के लिए लागू	मौद्रिक दंड	उदहरण [₹5 करोड़ के डिफॉल्ट पर दंड राशि]
1	एक वित्तीय वर्ष में पहली तीन चूक (अप्रैल से मार्च)	0.10 प्रतिशत (10 पैसे प्रति ₹100 एफवी)	₹50,000/-
2	एक ही वित्तीय वर्ष में अगली तीन चूक	0.25 प्रतिशत (25 पैसे प्रति ₹100 एफवी)	₹1,25,000/-
3	एक ही वित्तीय वर्ष में अगले तीन चूक	0.50 प्रतिशत (50 पैसे प्रति ₹100 एफवी)	₹2,50,000/-

ii. 31 जनवरी 2007 के परिपत्र आईडीएमडी.सं./11.01.01(बी)/2006-07 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में दसवीं चूक पर, बैंक को सरकारी वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रतिभूतियों में अधिबिक्रय करने के लिए अनुमत सीमा तक एसजीएल खाते का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में, इस बात से संतुष्ट होने पर कि संबंधित यूसीबी ने अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार किया है, भारतीय रिज़र्व बैंक एसजीएल खाता सुविधा का उपयोग करके कम बिक्री करने के लिए विशिष्ट अनुमोदन प्रदान कर सकता है।

iii. मौद्रिक दंड का भुगतान संबंधित शहरी सहकारी बैंक द्वारा चेक के माध्यम से या भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, आरबीआई से जुर्माना लगाने के आदेश की सूचना प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर किया जा सकता है।

5.1.5 पैराग्राफ 5.1.3 में दिए गए निर्देशों के प्रयोजन के लिए, 'एसजीएल बाउंसिंग' का अर्थ खरीदार के चालू खाते में धन की अपर्याप्तता या भारतीय रिज़र्व बैंक में बनाए रखे विक्रेता के एसजीएल/सीएसजीएल खाते में प्रतिभूतियों की अपर्याप्तता के कारण सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के निपटान में विफलता है।

5.1.6 चूककर्ता शहरी सहकारी बैंक वित्तीय वर्ष के दौरान चूक के मामलों की संख्या के साथ-साथ रिज़र्व बैंक को भुगतान किए गए दंड की मात्रा के बारे में अपने तुलन पत्र में "खाते पर टिप्पणी" के तहत उचित प्रकटीकरण करेगा।

5.1.7 पैराग्राफ 5.1.3 से 5.1.5 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, रिज़र्व बैंक के पास सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार एसजीएल / सीएसजीएल खाते खोलने और

रखरखाव के नियमों और शर्तों के उल्लंघन या समय-समय पर जारी परिचालन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए एसजीएल खाताधारक के अस्थायी या स्थायी डिबारमेंट सहित, जो भी उपयुक्त समझा जाए कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है।

- 5.1.8 उपर्युक्त के अलावा, एनडीएस सदस्यों के रूप में, शहरी सहकारी बैंकों को समय-समय पर संशोधित एनडीएस (सदस्यता) विनियम, 2002 के अन्य सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

5.2 एस जी एल फॉर्म

- 5.2.1 एस.जी.एल अंतरण फॉर्म रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक प्रारूप में एक समान आकार के अर्ध सुरक्षा पत्र पर मुद्रित होना चाहिए। इन्हें क्रम से अंकित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक एस जी एल फॉर्म को हिसाब में लेने के लिए एक नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए।
- 5.2.2 एस. जी. एल अंतरण फॉर्म बैंक के दो प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिनके हस्ताक्षर संबंधित लोक ऋण कार्यालय (पी डी ओ) और अन्य बैंकों में दर्ज होने चाहिए।
- 5.2.3 क्रेता बैंक द्वारा प्राप्त किए गए एस जी एल अंतरण फॉर्म तुरंत उसके एस जी एल खाते में जमा किए जाने चाहिए। बैंक द्वारा धारित एस जी एल अंतरण फॉर्म को लौटाकर कोई विक्री नहीं की जानी चाहिए।
- 5.2.4 विक्रेता बैंक द्वारा क्रेता बैंक के पक्ष में जारी किसी भी एस जी एल अंतरण फॉर्म के नकारे जाने की सूचना क्रेता बैंक द्वारा तुरंत रिज़र्व बैंक के ध्यान में लाना चाहिए।

5.3 नियंत्रण, उल्लंघन तथा दंड के प्रावधान

- 5.3.1 जारी किए गए/ प्राप्त किए गए एस जी एल अंतरण फॉर्मों का अभिलेख रखना चाहिए। एस जी एल खातों के संबंध में बैंक की बहियों के अनुसार बकाया को पी डी ओ की बहियों के बकाया से मिलना चाहिए। संबंधित पी डी ओ एस जी एल/ सी एस जी एल खातों की शेष राशियों का मासिक विवरण सभी खाता धारकों को भेजेगा। जिन यूसीबी के पी डी ओ में एस जी एल/ सी एस जी एल खाते हैं वे इन विवरणों का इस्तेमाल अपने एसजीएल/ सीएसजीएल शेष राशियों का अपनी बहियों के अनुसार मासिक मिलान करने के उद्देश्य से कर सकते हैं तथा इस संबंध में स्थिति निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। इस मिलान की आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा आवधिक रूप से जाँच भी की जानी चाहिए। अन्य बैंकों से प्राप्त एस जी एल अंतरण फॉर्मों की विश्वसनीयता के सत्यापन और प्रधिकृत हस्ताक्षर कर्ताओं की पुष्टिकरण हेतु एक प्रणाली होनी चाहिए।
- 5.3.2 बैंकों को संबंधित पी डी ओ को एक तिमाही प्रमाण पत्र भी भेजना चाहिए जिसमें यह दर्शाया गया हो कि पी डी ओ के एस जी एल खाते में पडी शेष राशियों का मिलान कर लिया गया है और इसे निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र की एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई को भेज दी गई है।
- 5.3.3 बैंको को प्रतिभूतियों के लेनदेनों के ब्योरे, अन्य बैंको द्वारा जारी किए गए एस जी एल अंतरण फॉर्मों के नकारे जाने के ब्योरे और उक्त अवधि के दौरान किए गए निवेश लेनदेनों की समीक्षा की मासिक आधार पर उच्च प्रबंधन को सूचना देने की एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।
- 5.3.4 सभी वचन-पत्रों, डिबेंचरों, शेयरों, बांडों आदि का ठीक प्रकार से रेकार्ड रखना चाहिए तथा उन्हें संयुक्त अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। अलग से एक रजिस्टर रखा जाए जिसमें ली गई/ पुनः जमा की गई प्रतिभूतियों के विवरण दर्ज हों। इनका आवधिक सत्यापन जैसे तिमाही या छःमाही में एकबार ऐसे व्यक्तियों द्वारा करवाया जाना चाहिए जो इनकी अभिरक्षा से संबंधित न हों।

- 5.3.5 अन्य संस्थाओं में दर्ज प्रतिभूतियों के संबंध में प्रमाणपत्र तिमाही/छःमाही अंतरालों पर प्राप्त किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, प्रति पक्ष के बकाया बैंक रसीदों का मासिक अंतराल पर और पी डी ओ में एस जी एल खाता शेष का मासिक अंतरालों पर मिलान करना आवश्यक है।
- 5.3.6 आंतरिक निरीक्षकों तथा संगामी लेखा परीक्षकों को लेनदेनों की निगरानी करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सौदे बैंक के सर्वोच्च हित में किए गए हैं। सतर्कता कक्ष को बड़े लेनदेनों के नमूने के तौर पर आकस्मिक जाँच करनी चाहिए।
- 5.3.7 संगामी लेखा परीक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक तिमाही के सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार बैंक द्वारा धारित निवेश वास्तव में उसके स्वामित्व में/ उसके द्वारा धारित है जैसा कि भौतिक प्रतिभूतियों अथवा बकाया विवरण में बतौर प्रमाण दिया गया है। इस प्रकार का प्रमाण पत्र संबंधित तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई को प्रस्तुत किया जाए।

6. दलालों को रखना

6.1 दलालों के जरिए कारोबार

- 6.1.1 अंतर-बैंक प्रतिभूतियों से संबंधित लेनदेन सीधे तौर पर बैंकों के बीच होने चाहिए तथा किसी बैंक को इस प्रकार के लेनदेनों में किसी दलाल की सेवाएं नहीं लेनी चाहिए। तथापि, बैंक राष्ट्रीय शेयर बाजार तथा मुंबई शेयर बाजार/ ओ टी सी बाजार के सदस्यों के जरिए आपस में अथवा गैर-बैंकिंग ग्राहकों के साथ प्रतिभूतियों का लेनदेन कर सकते हैं जहां लेनदेन पारदर्शी होते हैं। यदि प्रतिभूतियों का कोई लेनदेन राष्ट्रीय शेयर बाजार, भारतीय ओ टी सी बाजार या मुंबई शेयर बाजार में नहीं किया गया हो तो बैंकों द्वारा उसे सीधे तौर पर बिना दलालों के किया जाना चाहिए।
- 6.1.2 द्वितीयक बाजार (अंतर-बैंक लेनदेनों के अलावा) में अनुमत शयरों तथा पी एस यू बांडों की खरीद सिर्फ मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों तथा पंजीकृत शेयर दलालों के जरिए की जानी चाहिए।
- 6.1.3 एसबीआई और वित्त गृह लि.(डी एफ एच आई) को अंतर- बैंक सहभागिता बाजार में एक दलाल के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है। इससे बैंक यदि आवश्यक हो तो उधार लेने, उधार देने के लिए एसबीआई डी एफ एच आई से मध्यस्थता के लिए आग्रह करें। तथापि, यदि चाहें तो बैंक अंतर-बैंक सहभागिता बाजार में सीधे लेनदेन तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- 6.1.4 यदि कोई सौदा किसी दलाल के जरिए किया जाता है तो दलाल की भूमिका सौदे के लिए दोनों पक्षों को साथ लाने तक सीमित होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बैंकों को दलालों/मध्यस्थों को मुद्रा और प्रतिभूति बाजारों में उनकी ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकरण नहीं देना चाहिए।
- 6.1.5 दलालों के जरिए सौदे होने के बाद दूसरे पक्ष का खुलासा करने का आग्रह किया जाना चाहिए।
- 6.1.6 दूसरे पक्ष से संविदा की पुष्टि करने का आग्रह किया जाना चाहिए।
- 6.1.7 भुगतान प्रक्रिया में दलालों को तनिक भी शामिल नहीं करना चाहिए अर्थात निधि निपटान तथा प्रतिभूति की सुपुर्दगी दोनों सीधे दूसरे पक्ष के साथ करनी चाहिए।

6.2 दलालों का पैनाल

- 6.2.1 बैंकों को अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से दलालों की एक सूची बनानी चाहिए।

6.2.2 दलालों का परिचय सत्यापित करने के बाद उन्हें सूची में रखना चाहिए उदाहरणार्थ :

- (ए) सेबी पंजीकरण
- (बी) ऋण बाजार के लिए बी एस ई/ एन एस ई की सदस्यता
- (सी) शेअर बाजार/ बाजारों द्वारा प्रमाणित किए अनुसार गत वर्ष में बाजारी कारोबार।
- (डी) बाजार प्रतिष्ठा आदि।

6.2.3 बैंक को सेबी/ संबंधित शेयर बाजारों की वेबसाइटों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दलाल का नाम प्रतिबंधित सूची में नहीं रखा गया है।

6.3 दलालों की सीमाएं

- 6.3.1 कारोबार के एक असमानुपाती हिस्से का लेनदेन केवल एक या कुछ दलालों के जरिए नहीं किया जाना चाहिए। बैंकों को प्रत्येक अनुमोदित दलाल के लिए कुल संविदा निर्धारित करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सीमाओं का उल्लंघन न हो। किए गए कारोबार के दलालवार ब्योरो तथा दी गई दलाली का दलालवार अभिलेख रखना चाहिए।
- 6.3.2 एक वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा किए गए कुल लेनदेनों (खरीद तथा विक्री दोनों) के 5% की सीमा को प्रत्येक अनुमोदित दलाल की संपूर्ण उच्चतम संविदा सीमा के रूप में माना जाना चाहिए।
- 6.3.3 इस सीमा के भीतर बैंक द्वारा प्रवर्तित कारोबार तथा किसी दलाल द्वारा बैंक को दिए गए/ लाए गए कारोबार दोनों ही आ जाने चाहिए।
- 6.3.4 यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सामान्य तौर पर एक वर्ष के दौरान व्यक्तिगत दलालों के जरिए किए गए लेनदेन निर्धारित सीमा से अधिक न हों। तथापि यदि किसी दलाल के लिए समग्र सीमा पार करना आवश्यक हो तो उसके लिए विशेष कारण सौदे करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने चाहिए। इस प्रकार के मामलों में, उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने के बाद निदेशक मंडल का कार्योत्तर अनुमोदन लिया जा सकता है जिनमें उक्त सीमा पार की गई थी।

टिप्पणी: इस संबंध में बैंकों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण अनुलग्नक 1 में दिए गए हैं।

7. भारतीय समाशोधन निगम लि.के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदनों के संबंध में निपटान

- 7.1 सभी सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन (प्रत्यक्ष और रिपो दोनों) केवल भारतीय समाशोधन निगम लि. के माध्यम से किए जा रहे हैं।
- 7.2 यूसीबी जो एन डी एस / सी सी आई एल प्रणाली के सदस्य नहीं हैं, उनको किसी एन डी एस सदस्य के गिल्ट खातों/ डीमेट खाते के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों का अपना लेनदेन करना चाहिए।
- 7.3 सरकारी प्रतिभूतियों में सभी प्रत्यक्ष द्वितीयक बाजार लेनदेनों का निपटान टी+1 आधार पर किया जाएगा। तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों में रिपो लेनदेनों के मामले में बाजार प्रतिभागियों के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार टी+0 आधार अथवा टी+1 आधार पर निपटान का विकल्प खुला होगा।

8. शेयर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार

- 8.1 शेयर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार केवल अभौतिक रूप (डीमैट) में करने की सुविधा रिज़र्व बैंक के वर्तमान एनडीएस-ओएम में जारी रहेगी, इसके अतिरिक्त बैंकों में उपलब्ध होगी।
- 8.2 यूसीबी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक में एसजीएल खातों से अथवा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ प्राथमिक व्यापारी/ राज्य सहकारी बैंक आदि जैसी निर्दिष्ट संस्थाओं के सीएसजीएल के माध्यम से कारोबार की मौजूदा प्रणाली के अतिरिक्त राष्ट्रीय शेयर बाजार, मुंबई शेयर बाजार तथा ओवर दि काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्वचलित आदेश आधारित प्रणाली से सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार अभौतिक रूप (डीमैट) में करने का विकल्प है।
- 8.3 चूँकि उपर्युक्त शेयर बाजारों में कारोबार की सुविधा सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार करने की वर्तमान प्रणाली के समानांतर क्रियाशील रहेगी, इसलिए शेयर बाजारों में किए गए कारोबारों का समाशोधन उनके संबंधित समाशोधन निगमों/ समाशोधन गृहों द्वारा किया जाएगा। तथापि, शेयर बाजारों के कारोबारी सदस्यों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी संस्था के लिए निपटान प्रणाली में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे बैंकों के शेयर बाजार से जुड़े सभी कारोबारों का निपटान प्रत्यक्ष रूप से समाशोधन निगम/ समाशोधन गृह (यदि वे समाशोधन सदस्य हों) या किसी समाशोधन सदस्य अभिरक्षक के माध्यम से किया जाए।
- 8.4 भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और शेयर बाजारों द्वारा निर्धारित विनियमों के भीतर शेयर बाजारों में प्रतिभागिता को सुगम बनाने की दृष्टि से बैंकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही है-
- 8.4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक/प्राधिकृत संस्थाओं में एसजीएल/सीएसजीएल खातों के अलावा एनएसडीएल/सीडीएसएल अथवा एसएचसीआई एल के किसी बैंक निक्षेपागार प्रतिभागी (डीपी) के यहां डीमैट खाते खोलना।
- 8.4.2 हमारे सरकारी और बैंक लेखा विभाग द्वारा अलग से सभी एसजीएल खाताधारकों को जारी परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अधीन एसजीएल/सीएसजीएल और डीमैट खातों के बीच प्रतिभूतियों के मूल्य मुक्त अंतरण की सुविधा लोक ऋण कार्यालय, मुंबई पर मुहैया कार्रवाई जा रही है।
- 8.5 बैंकों द्वारा निक्षेपागारों में रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों की शेष राशि की गणना एसएलआर के प्रयोजन के लिए की जाएगी। निपटान की असफलता से (एनडीएस-सीसीआईएल बाजार या शेयर बाजार) सीआरआर/एसएलआर को बनाए रखने में होने वाली किसी कमी के कारण भी सामान्य दंड लगाए जाएंगे।
- 8.6 मौजूदा एनडीएस-सीसीआईएल बाजार तथा सीधी बोली सुविधा के अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए शेयर बाजार के प्लैटफार्म का इस्तेमाल करने के संबंध में यूसीबी के निदेशक मंडल सतर्क होकर निर्णय लें। जहां तक सरकारी प्रतिभूतियों के कारोबार का संबंध है, चूँकि सेबी के विनियम भी लागू होंगे इसलिए निदेशक मंडल को एक समुचित नीति बनानी और कार्यान्वित करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिचालन भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी और संबंधित शेयर बाजार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किए गए हैं। परिचालन शुरू होने से पहले संबद्ध अधिकारियों को शेयर बाजारों की बुनियादी परिचालनगत प्रक्रियाओं से स्वयं को परिचित कराना चाहिए।
- 8.7 परिचालनगत दिशानिर्देश
- 8.7.1 बैंकों को शेयर बाजारों में परिचालन शुरू करने से पहले शेयर बाजार के कारोबार और निपटान के लिए

उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। बैंक-ऑफिस व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एनडीएस-ओएम/ओटीसी बाजार और स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार को निपटान, समाधान और प्रबंधन रिपोर्टिंग के लिए आसानी से पता लगाया जा सके। इसलिए बैंकों को सूचना प्रौद्योगिकी आधार भूत ढाँचा तथा पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियां स्थापित करनी चाहिए।

- 8.7.2 खरीद/बिक्री के आदेश देने के लिए सेबी द्वारा पंजीकृत केवल उन दलालों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन करने के लिए अनुमत शेयर बाजारों (एनएसई बीएसई या ओटीसीआई) द्वारा प्राधिकृत किए गए हैं। दिन की समाप्ति पर कार्यान्वयन का समय दर्शाते हुए एक वैध संविदा नोट दलाल से प्राप्त किया जाना चाहिए।
- 8.7.3 संबंधित अधिकारियों को दलालों के पास खरीद/ बिक्री के आदेश देने से पहले स्वतंत्र रूप से बाजार में तथा शेयर बाजार से स्क्रीन पर कीमतों की जाँच कर लेनी चाहिए। बैंकों द्वारा निर्णयन प्रक्रियाओं को दलालों को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता।
- 8.7.4 किसी दलाल द्वारा किए गए लेनदेन दलालों द्वारा किए गए लेनदेन संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।
- 8.7.5 दलाल/कारोबार सदस्य निपटान प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। सभी कारोबार समाशोधन सदस्य अभिरक्षकों के जरिए निपटाए जाने हैं। अतः शहरी सहाकारी बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे ऐसे सेवा प्रदाताओं के साथ पहले ही एक द्विपक्षीय समाशोधन समझौता करें।
- 8.7.6 सभी लेनदेनों की निगरानी इस दृष्टि से करनी होगी कि निधियों और प्रतिभूतियों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। किसी प्रकार के विलंब अथवा चूक के मामले को तुरंत संबंधित शेयर बाजार/ अधिकारियों के साथ उठाना चाहिए।
- 8.7.7 कारोबार के समय, प्रतिभूतियां बैंकों के पास उनके एसजीएल या निक्षेपागारों में उनके डीमैट खाते में उपलब्ध होनी चाहिए।
- 8.7.8 प्रतिभूतियों की गैर-सुपुर्दगी/ निर्बाध निधियों की अनुपलब्धता के कारण निपटान संबंधी किसी प्रकार की चूक को एसजीएल का नकारा जाना समझा जाएगा और एसजीएल नकारे जाने के संबंध में मौजूदा दंड लागू होंगे। शेयर बाजार इस प्रकार की चूकों की सूचना संबंधित लोक ऋण कार्यालयों को देंगे।
- 8.7.9 शेयर बाजारों की स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली के माध्यम से सीमित प्रयोजन के लिए किसी प्राथमिक (शहरी) सहाकारी बैंक पर यह शर्त नहीं लागू होगी कि सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन करते समय उसे प्रति-पक्ष के रूप में किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक डीलर, वित्तीय संस्था, किसी दूसरे प्राथमिक (शहरी) सहाकारी बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड या भविष्य निधि से संपर्क करना चाहिए।
- 8.7.10 बैंकों को शेयर बाजारों में कुल योग के आधार पर किए गए व्यापार और शेयर बाजारों में बंद लेनदेनों का ब्यौरा देते हुए अपने निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को साप्ताहिक आधार पर सूचना देनी चाहिए।

8.7.11 बैंकों को अभी तक के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित लेनदेनों के संबंध में सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभी तक जारी तत्संबंधी सभी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए।

9 रिपो/ रिवर्स रिपो लेनदेन

- 9.1 शहरी सहकारी बैंक [दिनांक 24 जुलाई 2018 के परिपत्र एफ़एमआरडी.डीआईआरडी.01/14.03.038/2018-19](#) के तहत जारी पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2018 में दिए गए निर्देशों के पालन के अधीन रेपो लेनदेन निष्पादित कर सकते हैं।
- 9.2 तथापि, केवल मजबूत वित्तीय स्थिति और मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं वाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन करने के लिए पात्र हैं। तदनुसार, केवल निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को ऐसे लेनदेन करने की अनुमति होगी।
- (अ) पिछले तीन वर्षों के दौरान 10 प्रतिशत या उससे अधिक का सीआरएआर और 5 प्रतिशत से कम का सकल एनपीए और मुनाफे का निरंतर रिकॉर्ड।
- (आ) जोखिम प्रबंध की मजबूत प्रथाएं और निवेश पोर्टफोलियो की अनिवार्य समवर्ती लेखापरीक्षा।
- 9.3 इसके अलावा, कॉर्पोरेट बांडों में किए जाने वाले रिपो लेनदेन केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / प्राथमिक व्यापारियों के साथ ही किए जाएं, न कि किसी अन्य बाज़ार सहभागियों के साथ। रिपो लेनदेन में उधारकर्ता के रूप में कार्य करने वाले शहरी सहकारी बैंक, ऋण जोखिम के अनुरूप प्रति-पार्टी ऋण जोखिम के लिए इस प्रकार प्रावधान करें जिस प्रकार ऋण/निवेश एक्सपोजर पर किया जाता हो। शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करें कि तुलन-पत्र में पहले से शामिल अन्य गैर-एसएलआर निवेश सहित रिपो के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूतियां, गैर-एसएलआर निवेश हेतु विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा के अंदर हों (पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल जमा राशि का 10 %)। रिपो के अंतर्गत लिया गया उधार, निधि मांग मुद्रा उधार हेतु विनिर्दिष्ट सीमा के अंदर हो (अर्थात् पिछले वर्ष की जमा – राशि का 2%) ।
- 9.4 शहरी सहकारी बैंक केवल निर्धारित एसएलआर आवश्यकताओं से अधिक धारित सरकारी प्रतिभूतियों में ही रेपो लेनदेन कर सकते हैं।
- 9.5 रेपो का हिसाब इस मास्टर परिपत्र के **अनुलग्नक III** में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

10. सरकारी प्रतिभूतियों में अधिविक्रय

10.1 सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंक, जो एनडीएस-ओएम के सदस्य हैं और अपने कोषागार परिचालनों की नियमित समवर्ती लेखापरीक्षा करते हैं, को सरकारी प्रतिभूतियों की इंटर-डे शॉर्ट सेलिंग करने की अनुमति है। तदनुसार, निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर रहे शहरी सहकारी बैंकों को इस तरह के लेनदेन करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुमति लेने की आवश्यकता है।

अ. एनडीएस-ओएम सदस्यता

- आ. ₹25 करोड़ का निवल मूल्य, 9 प्रतिशत या अधिक का सीआरएआर और निवल एनपीए 3 प्रतिशत से अधिक नहीं।
- इ. सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन पद्धतियां और अपने कोषागार परिचालनों की अनिवार्य समवर्ती लेखा परीक्षा।

10.2 शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे [दिनांक 25 जुलाई 2018 को एफएमआरडी.डीआईआरडी.05/14.03.007/2018-19](#) के तहत जारी अधिविक्रय (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018 में निर्धारित अनुदेशों/निर्देशों का पालन करें।

11. सरकारी प्रतिभूतियों में 'जब जारी' लेनदेन

11.1 शहरी सहकारी बैंक "जब जारी" (डबल्यूआई) लेनदेन करने के लिए [24 जुलाई 2018 को एफएमआरडी.डीआईआरडी.03/14.03.007/2018-19](#) के तहत जारी किए गए जब जारी लेनदेन (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2018 का पालन करेंगे।

11.2 डबल्यूआई प्रतिभूतियों में किए गए लेनदेन का लेखांकन व्यवहार इस प्रकार होगा:

- (अ) प्रतिभूति के जारी होने तक 'डबल्यूआई' प्रतिभूति को ऑफ-बैलेंस शीट आइटम के रूप में बहियों में दर्ज किया जाना चाहिए।
- (आ) 'डबल्यूआई' बाजार में ऑफ-बैलेंस शीट की निवल स्थिति को दैनिक आधार पर 'डबल्यूआई' प्रतिभूति के दिन के समापन मूल्य पर बाजार में शेयर-वार चिह्नित किया जाना चाहिए। यदि 'डबल्यूआई' प्रतिभूति की कीमत उपलब्ध नहीं है, तो उसके स्थान पर आधार प्रतिभूति के मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। मूल्यहास, यदि कोई हो, तो प्रदान किया जाना चाहिए और मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को अनदेखा किया जाना चाहिए।
- (इ) "जब जारी" प्रतिभूतियों में ओएफ़-बैलेंस शीट (नीवल), स्क्रिप-वार, 2.5% जोखिम भारित रहेगी।
- (ई) सुपुदगी के बाद आधार प्रतिभूति को करारबद्ध मूल्य पर नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से तीन वर्गों में जैसे; "परिपक्वता के लिए धारित", "बिक्री के लिए उपलब्ध", "व्यापार के लिए धारित" वर्गीकृत कर सकते हैं।

11.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि "जब जारी" बाजार में खरीदी गई प्रतिभूतियाँ सुपुदगी के बाद ही एसएलआर उद्देश्यों के लिए हेतु पात्र होंगे।

12. गैर-एसएलआर निवेश

12.1 बैंकों के गैर-एसएलआर निवेश संविभाग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए बैंक निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करें:

12.1.1 विवेकपूर्ण सीमा

गैर-एसएलआर निवेश पिछले वर्ष के 31 मार्च को बैंक की कुल जमा राशि के 10 प्रतिशत तक सीमित होगा।

12.1.2 लिखत

शहरी सहकारी बैंक निम्नलिखित लिखतों में निवेश कर सकते हैं:

- (अ) "ए" अथवा समतुल्य एवं उच्चतररेटेड वाणिज्यिक पत्रों (सीपी), डिबेंचरों तथा बांड
- (आ) ऋण म्यूचुअल फंड तथा मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड की यूनिट।
- (इ) बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियों के शेयर।

12.1.3 प्रतिबंध

- (क) सतत ऋण लिखतों में निवेश की अनुमति नहीं है।
- (ख) गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश ऊपर 12.1.2 (ए) पर निर्धारित न्यूनतम रेटिंग के अधीन होगा और किसी भी समय कुल गैर-एसएलआर निवेश के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। 18 सितंबर 2007 के शबैवि.(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.14/16.20.000/2007-08 के अनुसार, जहां बैंक पहले ही उक्त सीमा को पार कर चुके हैं, ऐसी प्रतिभूतियों में और निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। चूंकि प्रतिभूतियों को जारी करने और सूचीबद्ध करने के बीच एक समय अंतराल है, जो सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित है लेकिन अभिदान के समय सूचीबद्ध नहीं है, बैंक गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमों में सहभागी होना संभव नहीं हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए बैंकों द्वारा गैर एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश (प्राथमिक तथा अनुषंगी दोनों ही बाजारों में) जहां प्रतिभूति को एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है, निवेश के समय सूचीबद्ध प्रतिभूति में निवेश के रूप में माना जा सकता है। यद्यपि, ऐसी प्रतिभूति निर्धारित समय में सूचीबद्ध नहीं होती है तो इस प्रकार के निवेश गैर सूचीबद्ध गैर एसएलआर प्रतिभूतियों के अंतर्गत शामिल 10 प्रतिशत की सीमा के लिए माना जाएगा। गैर सूचीबद्ध गैर - एस एल आर (प्रतिभूतियों ऐसे निवेश शामिल करने पर इसे 10 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन समझा जाएगा तथा बैंक को उक्त सीमा तक पहुंचने तक गैर एस एल आर प्रतिभूतियों में निवेश (प्राथमिक और अनुषंगी दोनों ही बाजारों में) करने की अनुमति नहीं होगी।
- (ग) बहुत भारी छूट/ जीरो कूपन बॉण्डों में निवेश अवशिष्ट अवधि के लिए ऊपर वर्णित न्यूनतम दर निर्धारण और समतुल्य बाजार प्रतिफल के अधीन होगा। तथापि, 18 फरवरी 2011 के परिपत्र शबैवि. (पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.36/16.20.000/2010-11 के तहत सूचित किए गए अनुसार 18 फरवरी 2011 से जब तक जारीकर्ता सभी उपार्जित ब्याज हेतु निक्षेप निधि तैयार नहीं करते है तथा तरल निवेश/ प्रतिभूती (सरकारी बांडो में) के रूप में निवेश नहीं करते है, बैंकों को जीरो कूपन बांडो में निवेश करने की अनुमति नहीं है।
- (घ) ऋण म्यूचुअल फंडों और मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों को छोड़कर म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में निवेश की अनुमति नहीं है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यूटीआई) सहित ऋण म्यूचुअल फंडों और मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों को छोड़कर म्यूचुअल फंडों की इकाइयों में विद्यमान धारिता को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। उस समय तक जब तक वे शहरी सहकारी बैंक के खातों में धारित हैं उन्हें 13.1.1 में बताए गए सीमा की गणना के लिए गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के रूप में माना जाएगा। तथापि, शहरी सहकारी बैंक यह सुनिश्चित करने हेतु अपने मौजूदे जोखिम प्रबंध नीति की समीक्षा करें कि किसी म्यूचुअल फंड की किसी भी योजना में अनुपात से अधिक उनका निवेश नहीं है।

- (ङ) ऋण म्यूचुअल फंडों और मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंडों और वाणिज्यिक पत्रों को छोड़कर गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाला निवेश होगा।
- (च) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) के शेयरों में निवेश की अनुमति नहीं है। दिनांक 18 सितंबर 2007 के यूबीडी.(पीसीबी).बीपीडी.परिपत्र सं.14/16.20.000/2007-08 के अनुसार, इन संस्थाओं में विद्यमान शेयर धारिता को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और तब तक वे शहरी सहकारी बैंकों की बहियों में धारित हैं और उन्हें ऊपर 12.1.1 में निर्धारित सीमा की गणना के लिए गैर-सांविधिक अनुपात निवेश के रूप में माना जाएगा।
- (छ) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात श्रेणी के अंतर्गत सभी नए निवेशों को कारोबार के लिए धारित (एचएफटी)/बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणियों के लिए यथालागू बाज़ार के लिए अंकित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। यद्यपि आधारभूत संरचना गतिविधियों में लगी और न्यूनतम सात वर्षों की अवशिष्ट परिपक्वता रखनेवाली कंपनियों द्वारा जारी दिर्घावधिक बांडों में किया गया निवेश भी परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा।
- (ज) सभी गैर-एसएलआर निवेश निर्धारित विवेकपूर्ण एकल/समूह काउंटर पार्टी एक्सपोजर सीमाओं के अधीन होंगे।
- (झ) गौण बाजार में गैर-एसएलआर निवेशों के अधिग्रहण/बिक्री के लिए वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक डीलरों के साथ लेनदेन करने के अलावा म्यूचुअल फंड, पेंशन/भविष्य निधि और बीमा कंपनियों के साथ किया जा सकता है, बशर्ते कि [दिनांक 10 अगस्त 2017 के आरबीआई मास्टर निदेश एफएमआरडी.डीआईआरडी.2/14.01.002/2017-18](#) के पैरा 7 में निहित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
- (ञ) बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियों में सदस्यता प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक है तो शहरी सहकारी बैंकों को अनुच्छेद सं 12.1.1 और 12.1.3(बी) में निर्धारित अनुसार गैर एसएलआर/अननुसूचित प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा को पार करने की अनुमति दी गई है। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश के लिए पात्र बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनी दि विलियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और सोसाईटी फोर वर्ल्ड वाईड इंटर बैंक फाईनेंशियल टेलिकम्यूनिकेशन (स्विफ्ट) हैं। पात्र बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियों की सूची का अद्यतन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

टिप्पणी: कुछ मदें जैसे रेटेड प्रतिभूति, निवेश ग्रेड रेटिंग आदि के लिए कृपया **अनुलग्नक II** देखें।

12.1.4 गैर-एसएलआर निवेश की समीक्षा

बोर्ड द्वारा कम से कम छःमाही अंतरालों पर गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के निम्नलिखित पहलुओं की समीक्षा की जानी चाहिए :

- (क) सूचना अवधि के दौरान कुल व्यवसाय (निवेश एवं विनिवेश)।
- (ख) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संबंधी निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं का अनुपालन।
- (ग) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का अनुपालन।
- (घ) जारीकर्ताओं/बैंक की बहियों में धारित प्रतिभूति निर्गमों की रेटिंग में परिवर्तन तथा उसके परिणामस्वरूप संविभाग की गुणवत्ता में हानि।
- (ङ) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात श्रेणी के अंतर्गत अनर्जक निवेशों की सीमा और उनके लिए पर्याप्त प्रावधान।

12.1.5 प्रकटीकरण

बैंकों को अनुलग्नक III-सी.3(डी) में वित्तीय विवरण - प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण पर दिनांक 30 अगस्त 2021 के मास्टर परिपत्र में सूचित किए गए अनुसार गैर-एसएलआर निवेशों और गैर-निष्पादित निवेशों की जारीकर्ता-वार संरचना के विवरण का खुलासा करेंगे।

12.2 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के माध्यम से प्राप्त बांड/डिबेंचर

- (i) एआरसी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के प्रतिफल के रूप में बैंकों द्वारा प्राप्त बांड/डिबेंचर को बैंकों की बहियों में गैर-एसएलआर निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा परिभाषित बैंकों के गैर-एसएलआर निवेशों पर लागू होने वाले मूल्यन, वर्गीकरण तथा अन्य मानदंड एआरसी से बिक्री प्रतिफल के रूप में बैंकों द्वारा प्राप्त लिखतों पर लागू होंगे। शहरी सहकारी बैंकों को गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी जमाराशि के 10% की सीमा से अधिक इन निवेशों को धारित करने की अनुमति है। शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिभूति प्राप्तियों, पास-थ्रू प्रमाणपत्रों या एआरसी द्वारा जारी किए गए बांडों/डिबेंचरों में सीधे कोई निवेश करने की अनुमति नहीं है। बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों को उनके द्वारा एआरसी को बेची गई वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में एआरसी द्वारा जारी सुरक्षा रसीदों में निवेश करने की अनुमति है। तथापि, शहरी सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यक्षेत्र के सक्षम न्यायालय द्वारा उन्हें ऐसे लेनदेन में भाग लेने से प्रतिबंधित करते हुए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। एआरसी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री संबंधी बहु-राज्य सहकारी बैंकों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देशों का एक सेट तैयार किया गया है और **अनुलग्नक IV** में प्रस्तुत किया गया है। उक्त दिशानिर्देश को बैंक के बोर्ड के समक्ष रखा जाए तथा उनके कार्यान्वयन के लिए उचित कार्रवाई की जाए।
- (ii) जब कोई बैंक अपनी वित्तीय आस्तियां एआरसी को बेचता है तो अंतरण के बाद उन्हें बैंक की बहियों से हटा दिया जाएगा।
- (iii) यदि एआरसी को बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य से धारित प्रावधान घटाकर) से कम

कीमत पर की गई हो तो ऋणों को बट्टे-खाते डालने से संबंधित सहकारी सोसायटियां अधिनियमों/नियमों/प्रशासनिक दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अधीन कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के प्रति बट्टे-खाता/नामे किया जाना चाहिए।

- (iv) बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों को उनके लाभ और हानि खाते में एनपीए की बिक्री पर एनबीवी से अधिक मूल्य के लिए बिक्री होने पर अतिरिक्त प्रावधान को पी एंड एल खाते में वापस करने की अनुमति है। हालांकि, बैंक एनपीए की बिक्री से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त प्रावधान को तभी वापस कर सकते हैं जब प्राप्त नकद (प्रारंभिक राशि और/या सुरक्षा रसीद/पास थ्रू प्रमाणपत्रों के मोचन के माध्यम से) एआरसी को बेचे गए एनपीए के एनबीवी से अधिक हो। इसके अलावा, लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान राशि की मात्रा उस सीमा तक सीमित होगी, जिस सीमा तक बेची गई एनपीए के एनबीवी की राशि से अधिक है। एनपीए की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा का खुलासा अनुलग्नक III - सी.4 (एफ) (i) में दिए गए दिनांक 30 अगस्त, 2021 के वित्तीय विवरणों पर मास्टर निदेश - प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण में प्रदान किए गए अनुसार बैंक के वित्तीय विवरणों में "नोट्स टू अकाउंट" के तहत किया जाएगा।

12.3 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियों का निवेश

12.3.1 विवेकपूर्ण अंतर बैंक (सकल) निवेश सीमा

समाशोधन सुविधा, सीएसजीएल सुविधा, मुद्रा तिजोरी सुविधा, विप्रेषण सुविधा और बैंक गारंटी, साख पत्र आदि जैसी गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किसी शहरी सहकारी बैंक द्वारा मांग मुद्रा /सूचना मुद्रा और जमाराशियों, अगर कुछ है तो सहित सभी प्रयोजनों के लिए अन्य बैंकों (अंतर-बैंक) में किसी शहरी सहकारी बैंक द्वारा रखी गई कुल जमाराशियाँ गत वर्ष के 31 मार्च तक अपनी कुल जमा देयताओं के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों (अनुसूचित लघु वित्त बैंकों सहित), अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी जमाराशि प्रमाणपत्रों में निवेश, अंतर-बैंक एक्सपोजर होने के नाते, के जमाराशि खातों में रखी गई शेष राशि को 20 प्रतिशत की सीमा में शामिल किया जाएगा।

ऐसे मामलों में जहां छोटे गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक उप-सदस्य समाशोधन व्यवस्था के लिए अपेक्षाकृत बड़े गैर-अनुसूचित बैंक में समाशोधन उद्देश्य के लिए चालू खाता/न्यूनतम आवश्यक शेष राशि रख रहे हैं, यह संभव है कि गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति जिनके पास ऐसी जमाराशियाँ रखी जाती हैं, व्यवसाय में अप्रत्याशित मंदी के कारण प्रभावित हो सकती है और जो जमाकर्ता बैंक और उसके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए समाशोधन व्यवस्था के लिए जिन गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अन्य गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक के प्रति एक्सपोजर है, वे उक्त बैंक के मुद्रित तुलनपत्र एवं लाभ-हानि खाते के आधार पर अपने एक्सपोजर का आवधिक आधार पर समीक्षा करें।

12.3.2 विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटरपार्टी सीमा

विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) निवेश सीमा के भीतर किसी एकल बैंक के पास जमाराशियाँ गत वर्ष के 31 मार्च तक जमा करने वाले बैंक की कुल जमा देयताओं के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12.3.3 समाशोधन उद्देश्यों के लिए प्रायोजक बैंक के रूप में कार्य करना, डीडी व्यवस्था, सीएसजीएल सुविधा, मुद्रा तिजोरी सुविधा, विदेशी मुद्रा लेनदेन, विप्रेषण सुविधा और गैर-निधि आधारित सुविधाएं जैसे बैंक गारंटी (बीजी), साख पत्र (एलसी), आदि जैसी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था के हिस्से के रूप में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक अन्य अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से जमा स्वीकार कर सकते हैं। तथापि, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दूसरे अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से निवेश प्रयोजनों के लिए जमाराशियों की स्वीकृति की अनुमति नहीं है।

12.3.4 केवल [दिनांक 19 नवंबर 2015 के परिपत्र डीसीबीआर.बीपीडी.\(पीसीबी\) परि.सं.8/16.20.000/2015-16](#) में दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूचित/गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से जमा स्वीकार करने की अनुमति है। जो अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं, वे उक्त परिपत्र में दिए गए प्रावधान के अनुसार जमाराशियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देंगे। मानदंडों को पूरा करने वाले अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत कुल अंतर-यूसीबी जमाराशियां पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को उसकी कुल जमा देयताओं के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12.3.5 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सर्वसमावेशी निदेश के तहत रखे गए किसी शहरी सहकारी बैंकों में रखी गई जमाराशियों से उत्पन्न होने वाले अंतर-बैंक एक्सपोजर को [दिनांक 20 अप्रैल, 2020 के परिपत्र डीओआर \(पीसीबी\) बीपीडी.परि. .11/16.20.000/2019-20](#) के अनुसार प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत के हिसाब से पाँच साल के भीतर पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, जहां कहीं शहरी सहकारी बैंकों को कमजोर राज्य सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से जमा राशि निकालने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, वे ऐसे राज्य सहकारी बैंकों/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में उनके एक्सपोजर पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की सीमा तक प्रावधान करेंगे। ऐसी जमाराशियों पर प्राप्य ब्याज को शहरी सहकारी बैंकों द्वारा आय के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।

12.3.6 निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शहरी सहकारी बैंकों को अपनी निधि स्थिति, चलनिधि और अन्य बैंकों में जमाराशियों के निवेश के लिए अन्य आवश्यकताओं, निधियों की लागत, ऐसी जमाराशियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर और ब्याज मार्जिन, काउण्टर पार्टि जोखिम आदि पर विचार करते हुए एक नीति तैयार करें और उसे अपने निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें। बोर्ड कम से कम छमाही अंतरालों पर स्थिति की समीक्षा करें।

13. आंतरिक नियंत्रण और निवेश लेखाकरण

13.1 आंतरिक नियंत्रण

- 13.1.1 किए गए प्रत्येक लेनदेन के लिए एक सौदा पर्ची बनाई जानी चाहिए जिसमें प्रति-पक्ष के नाम से संबंधित ब्यौरा होना चाहिए, क्या यह एक प्रत्यक्ष सौदा है या दलाल के माध्यम से किया गया सौदा है और यदि दलाल के माध्यम से किया गया हो तो प्रतिभूति, राशि, मूल्य, संविदा तिथि तथा समय का ब्यौरा उसमें होना चाहिए। प्रत्येक सौदे के लिए प्रति-पाक्स को पुष्टि की सूचना जारी करने की एक प्रणाली होनी चाहिए।
- 13.1.2 सौदा पर्चियां क्रम से अंकित और अलग से नियंत्रित होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें उचित रूप से हिसाब में लिया गया है।
- 13.1.3 दलाल/ प्रति-पक्ष से प्राप्त वास्तविक संविदा नोट्स के सत्यापन के बाद पारित वाउचरों तथा प्रति-पक्ष द्वारा सौदे की पुष्टि के आधार पर लेखा अनुभाग को स्वतंत्रतापूर्वक लेखा-बहियों में प्रविष्टि करनी चाहिए।
- 13.1.4 किए गए सौदों तथा भुगतान की गई दलाली के दलालवार ब्यौरे का रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।
- 13.1.5 आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को प्रतिभूतियों में किए गए लेनदेनों की लेखापरीक्षा सतत आधार पर करना चाहिए तथा निर्धारित प्रबंधन नीतियों एवं क्रियाविधियों के अनुपालन की निगरानी करनी चाहिए तथा कमियों के बारे सूचना सीधे बैंक के प्रबंधन तंत्र को देनी चाहिए।

13.2 निवेश लेखाकरण

13.2.1 लेखांकन मानक

एक विवेकपूर्ण अभ्यास के रूप में, म्यूचुअल फंड (ऋण म्यूचुअल फंड और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड) की इकाइयों और एआईएफआई की इक्विटी पर आय की बुकिंग में बैंकों के बीच एक समान लेखांकन अभ्यास लाने के लिए, ऐसी आय को नकद आधार पर बुक किया जाना चाहिए, न कि उपचय आधार। तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से होने वाली आय के संबंध में जहां लिखतों पर ब्याज दरें पूर्व-निर्धारित हैं, आय को उपचय आधार पर दर्ज किया जाए बशर्ते ब्याज का भुगतान नियमित रूप से किया जाता हो न कि राशि के रूप में।

13.2.2 खंडित अवधि का ब्याज - सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

- 13.2.2.1 अर्जन के समय सरकारी प्रतिभूतियों पर भुगतान किए गए खंडित अवधि के ब्याज के लेखांकन प्रणाली में एक रूपता लाने की दृष्टि से बैंक को खंडित अवधि के ब्याज के रूप में विक्रेता को भुगतान किए गए कीमत को लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकरण नहीं करना चाहिए बल्कि

इसे लाभ और हानि लेखा के अंतर्गत व्यय के एक मद के रूप में मानना चाहिए।

13.2.2.2 इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उपर्युक्त लेखाकरण प्रणाली में कराधान के प्रभावों पर विचार नहीं किया जाता और इसलिए बैंक को आयकर प्रधिकारियों द्वारा निर्धारित तरीके से आयकर संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए।

13.2.2.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हेतु लेखांकन पद्धति - निपटान तिथि लेखांकन

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली लेखांकन पद्धति में समानता लाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में दोनों आउट राइट तथा रेपों/रिवर्स रेपो लेनदेनों के रिकार्डिंग के लिए "निपटान तारीख" लेखांकन पद्धति अपनाए।

14. घोष समिति की सिफारिशें

धोखाधड़ी और कदाचार को रोकने के लिए बैंकों को घोष समिति द्वारा की गई निम्नलिखित सिफारिशों को लागू करना चाहिए:

14.1 समवर्ती लेखापरीक्षा

14.1.1 दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए अंतर-बैंक उधार, बिलों की पुनर्भुनाई आदि सहित निवेश, निधि प्रबंधन जैसे खजाना कारोबार की समवर्ती लेखापरीक्षा की जानी चाहिए और लेखा परीक्षा के परिणाम नियत अंतरालों पर बैंक के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के समक्ष रखे जाने चाहिए।

14.1.2. यह सुनिश्चित करना बैंकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि निवेश संविभाग के संचालन के संबंध में अनुदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा की पर्याप्त प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

14.1.3. संगामी लेखा परीक्षा में निम्नलिखित पहलू शामिल होने चाहिए:

- (i) यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिभूतियों की खरीद और लेनदेन के संबंध में संबंधित विभाग ने अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर कार्य किया है।
- (ii) यह सुनिश्चित किया जाए कि एसजीएल और डीमैट रूप में प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियां, जैसा कि बहियों में दर्शाया गया है, भौतिक रूप में धारित हैं।
- (iii) यह सुनिश्चित किया जाए कि लेखाकरण इकाई बीआर, एसजीएल फॉर्मों, पर्चियों की सुपुर्दगी, प्रलेखीकरण एवं लेखाकरण के संबंध में दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।
- (iv) यह सुनिश्चित किया जाए कि बिक्री या खरीद संबंधी लेनदेन बैंक के लिए लाभप्रद दरों पर किए जाते हैं।
- (v) दलालों की सीमाओं की समरूपता संवीक्षा की जाए और उनकी आवधिक रिपोर्टों में पाई गई अधिकता को शामिल किया जाए।

14.1.4. बैंकों को अपने निदेशक मंडलों द्वारा द्वितीयक बाजार के विधिवत् अनुमोदित अनुमत शेयरों, डिबेंचरों, तथा पीएसयू बांडों की प्राप्ति के लिए आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देश बनाने चाहिए।

14.2. आंतरिक लेखा परीक्षा

आंतरिक लेखा परीक्षकों (और आंतरिक लेखा परिक्षकों की गैर-मौजूदगी में सनदी लेखाकारों द्वारा लेखा-परीक्षा

करवाया जा सकता है) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री आदि, की अलग से लेखा परीक्षा की जानी चाहिए और उनकी लेखा परीक्षा के परिणाम हर तिमाही में एक बार निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

14.3. समीक्षा

बैंक को अपने निवेश संविभाग की छःमाही समीक्षा (31 मार्च और 30 सितंबर) करनी चाहिए जिसमें निवेश संविभाग के परिचालनात्मक पहलुओं के अलावा निर्धारित आंतरिक निवेश संविभाग नीति तथा प्रक्रियाओं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना और उनका अनुपालन प्रमाणित किया जाना चाहिए और उसे एक महीने के भीतर निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार की समीक्षा रिपोर्टें पर्यवेक्षण विभाग (पूर्व के शहरी बैंक विभाग) के क्षेत्रीय कार्यालयों को क्रमशः 15 मई/15 नवंबर तक भेज देनी चाहिए।

14.4. उल्लंघन के लिए दंड

बैंकों को उपर्युक्त अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। इन अनुदेशों के किसी प्रकार के उल्लंघन पर चूककर्ता बैंकों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें प्रारक्षित निधि आवश्यकताओं को बढ़ाना, रिज़र्व बैंक से पुनर्वित्त सुविधा का बंद किया जाना, मुद्रा बाजार में प्रवेश की नामंजूरी, नई शाखाओं/ विस्तार पटलों की नामंजूरी और समाशोधन गृह के अध्यक्ष को उचित कार्रवाई के साथ-साथ समाशोधन गृह की सदस्यता स्थगित करने के लिए सूचित किया जाना शामिल है।

15. निवेशों का वर्गीकरण

15.1. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे निम्नांकित तीन श्रेणियों के अंतर्गत अपने समग्र निवेश संविभाग(एसएलआर एवं गैर-एसएलआर सहित) का वर्गीकरण करें -

- (i) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- (ii) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
- (iii) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

बैंकों को प्रतिभूतियों की प्राप्ति के समय निवेश की श्रेणी का निर्णय करना चाहिए और इस निर्णय को निवेश प्रस्तावों में दर्ज किया जाना चाहिए। 18 सितम्बर 2007 से गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को केवल व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)/ बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए उनका बाजार की दर पर मूल्य निर्धारण करना चाहिए। तथापि, आधारभूत संरचना गतिविधियों में लगी और न्यूनतम सात वर्षों की अवशिष्ट परिपक्वता रखनेवाली कंपनियों द्वारा जारी दिर्घवधिक बांडों में शहरी सहकारी बैंको द्वारा किया गया निवेश भी एच टी एम संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा।

15.2. परिपक्वता तक धारित

15.2.1. बैंकों द्वारा परिपक्वता तक धारण करने के इरादे से अर्जित की गई प्रतिभूतियों को "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

15.2.2. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत शामिल निवेश बैंक के कुल निवेशों के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। तथापि, बैंकों को इस श्रेणी के अंतर्गत अपने कुल निवेशों के 25% की सीमा से अधिक निवेश करने कि अनुमति दी गई है बशर्ते

(ए) अतिरिक्त निवेश में केवल एसएलआर प्रतिभूतियां हैं।

(बी) दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियां उनकी निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के 25% से अधिक हों।

- 15.2.3. यूसीबी से यह अपेक्षा की जाती है कि एचटीएम श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों की बिक्री का सहारा न लें। हालांकि, यदि चलनिधि दबाव के कारण, यूसीबी को एचटीएम पोर्टफोलियो से प्रतिभूतियों को बेचने की आवश्यकता होती है, तो वे अपने निदेशक मंडल की अनुमति से ऐसा कर सकते हैं और ऐसी बिक्री के लिए स्पष्ट रूप से कारण दर्ज किया जा सकता है। एचटीएम श्रेणी से निवेश की बिक्री पर लाभ पहले लाभ और हानि खाते में लिया जाएगा और उसके बाद, इस तरह के लाभ की राशि को सांविधिक विनियोगों के बाद वर्ष के लिए शुद्ध लाभ से पूंजी रिज़र्व को विनियोजित किया जाएगा। बिक्री पर हानि बिक्री के वर्ष में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त होगी।

15.3. व्यापार के लिए धारित

- 15.3.1. बैंकों द्वारा अर्जित उन प्रतिभूतियों को "व्यापार के लिए धारित" श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा जिन्हें बैंकों ने अल्पकालिक कीमत/ ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव का लाभ लेने के इरादे से अर्जित किया है।
- 15.3.2. यदि सख्त चलनिधि हालातों या आत्यांतिक अस्थिरता या बाजार के एक रेखीय होने जैसी असाधारण परिस्थितियों के कारण बैंक 90 दिनों के भीतर प्रतिभूति नहीं बेच पाते हों तो निम्नलिखित पैराग्राफ 15.5.3 एवं 15.5.4 में निर्धारित शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों को "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में स्थानांतरित कर देना चाहिए।

15.4. बिक्री के लिए उपलब्ध

- 15.4.1. उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाली प्रतिभूतियों को "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।
- 15.4.2. "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों की धारिता की मात्रा तय करने के लिए बैंक स्वतंत्र है। इन्टेंट के आधार, कारोबार की रणनितियों, जोखिम प्रबंधन की क्षमताओं, कर नियोजन, जनशक्ति कौशल, पूंजी की स्थिति आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकते हैं।

("व्यापार के लिए धारित" तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लिया जाना चाहिए।)

15.5. निवेशों का स्थानांतरण

- 15.5.1. बैंक निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में/"परिपक्वता तक धारित" श्रेणी से निवेशों का अंतरण कर सकते हैं। सामान्यतया इस प्रकार का अंतरण लेखाकरण वर्ष

के प्रारंभ में करने की अनुमति दी जाती है। लेखाकरण वर्ष की शेष अवधि के दौरान इस श्रेणी में/ इस श्रेणी से और किसी अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 15.5.2. बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी से "कारोबार के लिए धारित" श्रेणी में निवेशों का अंतरण कर सकते हैं। अत्यावश्यकता की स्थितियों के मामले में इस प्रकार का अंतरण बैंक के मुख्य कार्यपालक के अनुमोदन से किया जा सकता है लेकिन इसे निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।
- 15.5.3. सामान्यतया "कारोबार के लिए धारित" श्रेणी से "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में निवेशों के अंतरण की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि, इसकी अनुमति केवल निदेशक मंडल/ निवेश समिति के अनुमोदन से उपर्युक्त पैराग्राफ 16.3.2 में उल्लिखित असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत ही दी जाएगी जो अंतरण की तारीख को लागू मूल्यहास, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन होगी।
- 15.5.4. सभी परिस्थितियों में एक श्रेणी से दूसरी किसी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूतियों की प्राप्ति कीमत/बही मूल्य/बाजार मूल्य जो न्यूनतम हो, पर अंतरण की तारीख को किया जाना चाहिए और इस प्रकार के अंतरण के कारण किसी प्रकार के मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाना चाहिए।

15.6. तुलन पत्र में निवेशों का वर्गीकरण

तुलनपत्र के प्रयोजन के लिए निवेशों का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाना चाहिए:

- (i) सरकारी प्रतिभूतियां
- (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- (iii) शेयर
- (iv) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड
- (v) अन्य

16. निवेश मूल्यन

16.1. मूल्यन मानक

- 16.1.1. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को दैनिक बाजार भाव पर दर्शाने की आवश्यकता नहीं है एवं इन्हें अर्जन की कीमत पर दर्शाया जाएगा जबतक कि यह अंकित मूल्य से अधिक न हो। ऐसे मामले में प्रिमियम का परिशोधन परिपक्वता पूरी होने की शेष अवधि में किया जाएगा।
- 16.1.2. "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी में प्रत्येक पर्ची का मूल्यन वर्ष के अंत में या अधिक अंतरालों पर बाजार भाव पर दर्शाया जाएगा। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण अर्थात् एचटीएम, एएफएस या एचएफटी के अंतर्गत निवल मूल्यहास का पता लगाया जाए और उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाए जब कि निवल मूल्य वृद्धि को नजर अंदाज कर दिया जाए। प्रत्येक प्रतिभूति के बही मूल्य में पुनर्मूल्यन के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा।

16.1.3. "व्यापार के लिए धारित" श्रेणी में प्रत्येक शेयर का बाजार भाव पर मासिक या और ज्यादा अंतरालों पर दर्शाया जाएगा, बाजार के आधार पर मूल्यन के बाद इस श्रेणी में व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

टिप्पणी : इस श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यन स्क्रिप्ट वार किया जाएगा और मूल्य हास/ मूल्य वृद्धि के प्रत्येक वर्गीकरण अर्थात् एचटीएम, एएफएस या एचएफटी के लिए जोड़ा जाएगा जैसाकि एएफएस तथा एचएफटी के लिए ऊपर 15.6 में अलग-अलग दर्शाया गया है। निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाएगा। निवल मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो, को नजर अंदाज कर दिया जाना चाहिए। किसी एक वर्गीकरण में प्रावधान किए जाने वाले मूल्यहास को किसी अन्य वर्गीकरण में निवल मूल्य वृद्धि के कारण कम नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार एक श्रेणी में किसी वर्गीकरण के लिए निवल मूल्य हास को किसी दूसरी श्रेणी में उसी प्रकार के वर्गीकरण में मूल्य वृद्धि से कम नहीं किया जाना चाहिए।

16.1.4. (i) किसी वर्ष "एएफएस" अथवा "एचएफटी" श्रेणियों के अंतर्गत धारित निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के कारण सृजित आईडीआर को लाभ एवं हानि खाते में नामे लिखा जाना चाहिए और उसके समतुल्य राशि (निवल कर लाभ, यदि कोई हो और सांविधिक प्रारक्षित निधि के अंतरण के परिणाम स्वरूप निवल कमी) या निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि खाते में उपलब्ध शेष, इनमें से जो भी कम हो, को निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि खाते से लाभ व हानि खाते में अंतरित कर दिया जाना है।

(i) निवेशों में मूल्यहास के कारण सृजित आईडीआर किसी वर्ष आवश्यक राशि से अधिक पाए जाने की स्थिति में अधिक राशि को लाभ व हानि खाते में नामे करने दिया जाना चाहिए और समतुल्य राशि (निवल कर, यदि कोई हो एवं सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरित निवल राशि जैसाकि इस प्रकार के अधिक प्रावधान पर लागू हो) को निवेश के लिए भावी मूल्यहास संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि खाते में समायोजित करने देना चाहिए।

(ii) मूल्यहास प्रावधान के लिए लाभ व हानि खाते में नामे लेखी राशियां और अधिक प्रावधान के प्रत्यावर्तन के लिए लाभ व हानि खाते में जमा राशि को "व्यय - प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय" शीर्ष के अंतर्गत क्रमशः नामे एवं जमा दर्ज किया जाना चाहिए।

(iii) लाभ एवं हानि खाते से विनियोजित राशि और निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि/निवेश मूल्य हास से लाभ एवं हानि खाते में अंतरित राशि को वर्ष के लिए लाभ का निर्धारण करने के बाद "व्याख्यात्मक नोट" के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

16.1.5. तीनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में प्रतिभूतियों के संबंध में जहां ब्याज/ मूलधन बकाया हो, बैंकों को प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करनी चाहिए और निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए उचित प्रावधान भी करने चाहिए। बैंकों को इन अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यहास की हानि की पूर्ति अन्य अर्जक आस्तियों के संबंध में मूल्य-वृद्धि से नहीं करनी चाहिए।

16.2. बाज़ार मूल्य

16.2.1. उद्धृत प्रतिभूतियां

"बिक्री के लिए उपलब्ध" और "व्यापार के लिए धारित" श्रेणियों में शामिल निवेशों के आवधिक मूल्यन के प्रयोजन के लिए "बाजार मूल्य" शेयर बाजारों के कारोबार/ उद्धरणों, एसजीएल खाता लेनदेन तथा निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (फिम्डा) द्वारा आवधिक रूप से घोषित कीमतों से यथा उपलब्ध शेयर की बाजार कीमत होगी।

16.2.2. अनुद्धृत एसएलआर प्रतिभूतियां

अनुद्धृत प्रतिभूतियों के संबंध में, नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

(i) केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां

(ए) भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों द्वारा निवेशों के मूल्यन के प्रयोजन से अनुद्धृत केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की वाईटीएम दरों की घोषणा नहीं करेगा। बैंकों को आवधिक अंतरालों पर घोषित कीमतों/ वाईटीएम दरों के आधार पर अनुद्धृत केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन करना चाहिए।

(बी) यह स्पष्ट किया जाता है कि उचित वाईटीएम दर - निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या की गणना किसी वर्ष की आंशिक अवधि को निकटतम पूर्ण वर्ष में पूर्णांकित करके की जाए।

(सी) जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों सहित अन्य अनुद्धृत प्रतिभूतियों के मूल्यन का संबंध है बैंकों को अनुद्धृत प्रतिभूतियों के मूल्यन का निर्धारण करने के लिए 'परिपक्वता आय' विधि का एक समान रूप से अनुपालन करना चाहिए।

(ii) खजाना बिलों का मूल्यन रखाव लागत पर किया जाना चाहिए।

(iii) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां

राज्य सरकारी की प्रतिभूतियां का मूल्यन आवधिक रूप से एफ़बीआईएल द्वारा निर्धारित मूल्यों/ 'परिपक्वता आय' के आधार पर किया जाएगा।

(iv) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यन 'परिपक्वता आय' विधि का प्रयोग करके किया जाएगा जिसके अंतर्गत आवधिक रूप से एफ़बीआईएल द्वारा निर्धारित समान परिपक्वता की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की आय से 25 आधार बैंक अधिक दिया जाएगा।

16.2.3. अनुद्धृत गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां

(i) डिबेंचर/बांड

उन डिबेंचरों/ बांडों को छोड़कर जो अग्रिम प्रकार के हैं सभी डिबेंचरों/ बाण्डों का मूल्यन 'परिपक्वता आय' आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार के डिबेंचर/बांड भिन्न-भिन्न रेटिंग के हो सकते हैं। इनका उचित मूल्यन पीडीए आई/ फिम्डा द्वारा आवधिक रूप से निर्धारित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के लिए 'परिपक्वता आय' दरों से अधिक मूल्य पर किया जाएगा। रेटिंग एजेंसियों द्वारा डिबेंचरों/ बांडों को दी गई रेटिंग के अनुसार मूल्यन का स्तर निर्धारित किया जाएगा जो निम्नलिखित के अधीन होगा:

(ए) रेटेड डिबेंचरों/ बांडों के लिए परिपक्वता आय हेतु प्रयुक्त दर समान परिपक्वता के भारत सरकार के ऋण पर लागू दर से कम से कम 50 आधार अंक ऊपर होनी चाहिए।

(बी) अनरेटेड डिबेंचरों/ बांडों के लिए परिपक्वता अवधि हेतु प्रयुक्त दर समान परिपक्वता के रेटेड डिबेंचरों/ बांडों पर लागू दर से कम नहीं होनी चाहिए। अनरेटेड डिबेंचरों/ बांडों के मूल्य स्तर से बैंक द्वारा वहन किए जा रहे ऋण जोखिम को समुचित रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए।

(सी) जहां डिबेंचरों/ बांडों पर ब्याज/ मूलधन बकाया हो, वहां अग्रिम माने गए डिबेंचरों बांडों की तरह डिबेंचरों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। जहां ब्याज बकाया हो या मूलधन का भुगतान नियत तारीख के अनुसार नहीं किया गया हो वहां डिबेंचरों पर मूल्यहास/ प्रावधान को अन्य डिबेंचरों/ बांडों की मूल्य वृद्धि से समायोजित नहीं करने दिया जाएगा।

(ii) जहां डिबेंचरों/ बांड को उद्धृत किया गया है और जहां मूल्यन तारीख से पूर्व 15 दिनों के भीतर लेनदेन किए गए हैं वहां स्वीकृत मूल्य शेयर बाजार में दर्ज लेनदेन की दर से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) सहकारी संस्थाओं के शेयर

यदि प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक को सहाकारी संस्थाओं से नियमित रूप से लाभांश प्राप्त हुए हैं तो उनके शेयरों का मूल्यन अंकित मूल्य पर किया जाना चाहिए। कई मामलों में, सहकारी संस्थाएं जिनके शेयरों में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों ने निवेश किया है, या तो परिसमाप्त हो गई हैं या उन्होंने लाभांश घोषित ही नहीं किया है। इस प्रकार के मामलों में, बैंकों को इस प्रकार की संस्थाओं के शेयरों में अपने निवेशों के संबंध में पूरा प्रावधान करना चाहिए। कई मामलों में जिनमें सहकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति जिनके शेयरों में बैंकों ने निवेश किया है, उपलब्ध न हो तो शेयर ` 1/- प्रति सहकारी संस्था की दर पर लिया जाए।

(iv) भारत सरकार द्वारा जारी गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का मूल्यन

ए) गत वर्षों के दौरान भारत सरकार ने समय-समय पर अनेक विशेष प्रतिभूतियां जारी की हैं जो शहरी सहकारी बैंकों की एसएलआर संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करने की पात्र नहीं हैं। इस प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों पर पृथक शर्तें लागू होती हैं जिनके कारण बड़ी मात्रा में अतरलता उत्पन्न होती है।

बी) मूल्यन के सीमित प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी संस्थाओं को जारी की गई ऐसी सभी विशेष प्रतिभूतियों का मूल्यन भारत सरकार प्रतिभूतियों पर तत्संबंधी आय से 25 आधार अंक अधिक देते हुए किया जाए।

सी) यह नोट किया जाए कि वर्तमान में ऐसी विशेष प्रतिभूतियों के अंतर्गत तेल बांड, उर्वरक बांड, भासरतीय स्टेट बैंक को जारी किए गए बांड (हाल ही के राइट इश्यू के दौरान), भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि., भारतीय खाद्य निगम, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि., भूतपूर्व भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भूतपूर्व शिपिंग विकास वित्त निगम शामिल हैं।

16.2.4. म्यूचुअल फंड यूनिट

उद्धृत म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेशों का मूल्यन शेयर बाजार के भावों के अनुसार किया जाना चाहिए। गैर उद्धृत म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेशों का मूल्यन प्रत्येक विशेष योजना के संबंध में म्यूचुअल फंडों द्वारा घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। निश्चित अवरूद्धता अवधि वाली निधियों के मामले में या जहां पुनर्खरीद मूल्य/ बाजार भाव उपलब्ध नहीं है वहां यूनिटों का मूल्यन एनएवी के आधार पर किया जा सकता है। यदि एनएवी उपलब्ध न हो तो इन युनिटों का मूल्यन निश्चित अवरूद्धता अवधि की सामाप्ति तक लागत के आधार पर किया जा सकता है।

17. निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर)

बाजार जोखिमों के प्रति सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रारक्षित निधि खड़ा करने के लिए:

17.1. सभी सहकारी बैंकों को निवेशों की बिक्री से हुए लाभों से और उपलब्ध निवल लाभ के अधधीन निवेश संविभाग के न्यूनतम 5 प्रतिशत के बराबर निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि (आईएफआर) खड़ी करनी

चाहिए। इस न्यूनतम आवश्यकता की गणना "कारोबार के लिए धारित" तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" जैसी दो श्रेणियों में निवेशों के संदर्भ में की जानी चाहिए। तथापि, बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से संविभाग के 10 प्रतिशत तक आईएफआर की उच्च प्रतिशतता खड़ी करने के लिए स्वतंत्र हैं जो उनके संविभाग के आकार और गठन पर निर्भर करेगी।

- 17.2. बैंकों को प्रतिभूतियों में निवेश की बिक्री से हुए लाभ की अधिकतम राशि आईएफआर में अंतरित कर देना चाहिए। आईएफआर में अंतरण सांविधिक प्रारक्षित निधि में विनियोग के बाद निवल लाभ के विनियोग के रूप में होगा।
- 17.3. "कारोबार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध जैसी दो श्रेणियों से निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ से निर्मित आईएफआर स्तर ॥ पूंजी में समावेश करने की पात्र होगी।
- 17.4. निवेशों की मूल्यहास संबंधी आवश्यक को पूरा करने के लिए आईएफआर से लाभ व हानि लेखा में अंतरण "लाभ निकालने के बाद" की असाधारण मद होगी।
- 17.5. बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवेश संविभाग के मूल्यन से वसूल नहीं हुए लाभों को आय खाते या आईएफआर खाते में नहीं लिया जाता है।
- 17.6. बैंक भविष्य में प्रतिभूतियों में निवेश के कारण मूल्यहास से संबंधित जरूरत को पूरा करने के लिए आईएफआर में धारित राशि का उपयोग कर सकते हैं।
- 17.7. एक बैंक अपने विवेक से आईएफआर में उपलब्ध शेष राशि को किसी भी लेखा वर्ष के अंत में लाभ और हानि खाते में बताए गए लाभ/हानि के संतुलन के लिए एएफएस और एचएफटी में अपने निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक वाली राशि को कम कर सकता है। आईएफआर में शेष राशि एएफएस और एचएफटी में उसके निवेश के 5 प्रतिशत से कम है, तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन उसे कम करने की अनुमति दी जाएगी:
 - (a) निर्धारित राशि का उपयोग केवल मुक्त आरक्षित निधियों के विनियोग के माध्यम से न्यूनतम टियर I पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने या हानि के संतुलन को कम करने के लिए किया जाता है, और
 - (b) निर्धारित वर्ष के दौरान किए गए एमटीएम प्रा वधान उस वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ से अधिक राशि से अधिक नहीं है।

17.8. आईएफआर तथा निवेश मूल्य हास प्रारक्षित निधि (आईडीआर) में अंतर

यह नोट किया जाए कि आईएफआर निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ के नियोजन से सृजित किया जाता है तथा उसे स्तर II पूंजी के पात्र बैंक की प्रारक्षित निधि के रूप में माना जाता है।

निवेश मूल्य हास प्रारक्षित निधि (आईडीआर) लाभ एवं हानि लेखा से निवेश मूल्य में हास प्रभारित करके सृजित प्रावधान है। जहां आईएफआर के अंतर्गत धारित राशि को तुलनपत्र में यथावत प्रदर्शित किया जाना चाहिए वहीं आईडीआर के अंतर्गत धारित राशि को निवेश में होने वाले मूल्य हास के लिए आकस्मिक प्रावधान के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

दलालों की सीमाओं पर कतिपय स्पष्टीकरण

[पैरा 6.3]

क्रमांक	उठाए गए मुद्दे	उत्तर
1.	वर्ष कैलेंडर वर्ष होना चाहिए या वित्तीय वर्ष?	चूंकि बैंक अपने खाते मार्च के अंत में बंद करते हैं इसलिए वित्तीय वर्ष को अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा। तथापि, बैंक कैलेंडर वर्ष या 12 माह की अन्य किसी अवधि को अपना सकते हैं बशर्ते भविष्य में भी उसे निरंतर अपनाया जाता रहे।
2.	क्या वर्ष के कुल लेनदेनों की गणना करने के लिए सीधे प्रतिपक्ष के साथ किए गए लेनदेनों अर्थात् जिनसे कोई दलाल संबद्ध नहीं है, को भी हिसाब में लिया जाएगा?	आवश्यक नहीं। तथापि, यदि क्रेता या बिक्रेता के रूप में दलालों के साथ सीधे कोई लेनदेन किया गया है तो उसे किसी दलाल के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेनों की सीमा तक कुल लेनदेनों में शामिल किया जाना होगा।
3.	क्या हाजिर वायदा लेनदेनों के मामले में कुल लेनदेनों की मात्रा निर्धारित करने के लिए लेनदेनों के दोनों चरण अर्थात् खरीद और बिक्री को शामिल किया जाएगा?	हां
4.	क्या सीधी खरीद/नीलामियों के माध्यम से खरीदे गए केंद्रीय ऋण/राज्य ऋण/खजाना बिलों को कुललेनदेनों की मात्रा में शामिल किया जाएगा?	नहीं, क्योंकि दलाल मध्यस्थ के रूप में शामिल नहीं हैं।
5.	यह संभव है कि बैंक यह मानता हो कि किसी दलाल विशेष ने 5% की निर्धारित सीमा पूरी कर ली है फिर भी वह वर्ष की शेष अवधि के दौरान कोई प्रस्ताव कर सकता है जिसे बैंक अन्य दलालों से प्राप्त प्रस्तावों की तुलना में अपने फायदे में समझता हो जिन्होंने अभी तक निर्धारित सीमा तक व्यवसाय नहीं किया है।	यदि प्राप्त प्रस्ताव अधिक फायदेमंद हो तो दलाल के लिए सीमा बढ़ाई जा सकती है और सक्षम प्राधिकारी/निदेशक मंडल का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।
6.	ऐसे बैंक के लिए जो मुश्किल से कभी दलालों के माध्यम से लेनदेन करता हो और परिणामस्वरूप उसके व्यवसाय की मात्रा कम हो, 5% की दलालवार सीमा बनाए रखने का मतलब भिन्न-भिन्न दलालों के बीच मूल्यों को छोटे-छोटे रूप में विभाजित करना है और इससे	किसी मूल्य स्तर को विभाजित करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी लेनदेन के कारण किसी दलाल विशेष का शेयर 5% सीमा को लांघ जाता है तो हमारा परिपत्र आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है क्योंकि निदेशक मंडल का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

	कीमत में अंतर भी पैदा हो सकता है।	
7.	वर्ष के दौरान तर्कसंगत ढंग से यह पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होगा कि दलालों के माध्यम से लेनदेनों की कुल मात्रा क्या होगी जिसके परिणामस्वरूप 5% के मानदंड का अनुपालन करने में चूक हो सकती है।	जिन परिस्थितियों में सीमा में वृद्धि की गई थी उसका स्पष्टीकरण निदेशक मंडल को देने के बाद बैंक उससे कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर सकता है।
8.	निजी क्षेत्र के कुछ छोटे बैंकों ने उल्लेख किया है कि जहां व्यवसाय की मात्रा विशेष रूप से दलालों के माध्यम से किए गए लेनदेन कम हों वहां 5% की सीमा का पालन करना कठिन है। इसलिए एक सुझाव दिया गया है कि यदि दलाल के माध्यम से किया गया व्यवसाय निर्धारित सीमा अर्थात् 10 करोड़ रुपये से अधिक होता है तो उक्त सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।	जैसाकि पहले ही कहा गया है कि 5% की सीमा में वृद्धि की जा सकती है बशर्ते लेनदेनों की कार्योत्तर सूचना सक्षम प्राधिकारी को दी जाए। इसलिए अनुदेशों में किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा जाता है।
9.	क्या चालू वर्ष के कुल लेनदेनों की तुलना में पिछले वर्ष के कुल लेनदेनों के संदर्भ में सीमा का पालन किया जाना है क्योंकि इसकी जानकारी वर्ष के अंत में ही होगी?	सीमा का पालन समीक्षाधीन वर्ष के संदर्भ में किया जाना होगा। सीमा को परिचालित करते समय बैंक को चालू वर्ष के संभावित लेनदेन को ध्यान में रखना चाहिए जो पिछले वर्ष के लेनदेन और चालू वर्ष में व्यवसाय की मात्रा में संभावित उतार-चढ़ाव पर आधारित हो।

कुछ निबंधनों की परिभाषाएं

[पैरा 12.1.3]

1. स्पष्टता लाने तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में कोई विचलन नहीं हुआ है, दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त कुछ शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं।
2. किसी प्रतिभूति को रेटेड तभी माना जाएगा जब भारत में किसी बाहरी रेटिंग एजेंसी द्वारा उसकी विस्तृत रेटिंग की गई हो जो सेबी के अंतर्गत पंजीकृत हो और जो चालू या वैध रेटिंग कर रही हो। जिस रेटिंग को आधार बनाया गया है उसे चालू या वैध रेटिंग तभी माना जाएगा यदि
 - i) जिस क्रेडिट रेटिंग पत्र को आधार बनाया गया हो वह निर्गम के खुलने की तारीख को एक माह से अधिक पुराना न हो, तथा
 - ii) रेटिंग एजेंसी से प्राप्त रेटिंग मूलाधार निर्गम खुलने की तारीख को एक वर्ष से अधिक पुराना न हो, तथा
 - iii) रेटिंग पत्र और रेटिंग मूलाधार प्रस्ताव दस्तावेज का एक भाग हो
 - iv) द्वितीयक बाजार अधिप्राप्ति के मामले में निर्गम की क्रेडिट रेटिंग प्रभावी होनी चाहिए और संबंधित रेटिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन में उसकी पुष्टि होनी चाहिए।
 - v) उन प्रतिभूतियों को अनरेटेड प्रतिभूतियाँ माना जाएगा जिनके पास किसी बाह्य रेटिंग एजेंसी से प्राप्त चालू या वैध रेटिंग नहीं है।
3. 'सूचीबद्ध' ऋण प्रतिभूति एक ऐसी प्रतिभूति होती है जो किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होती है। यदि ऐसा न हो तो यह एक 'अ-सूचीबद्ध' ऋण प्रतिभूति कहलाएगी।
4. किसी अनर्जक अग्रिम की भांति ही एक अनर्जक निवेश (एनपीआई) होता है जब
 - ए) ब्याज/ किश्त (परिपक्वता प्राप्तियों सहित) देय हो तथा 90 दिनों से अधिक समय से जिसका भुगतान न किया गया हो।
 - बी) यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा बैंक की बहियों में अनर्जक आस्ति हो गई हो तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी प्रतिभूति में किए गए निवेश को भी अनर्जक निवेश माना जाएगा।

रिपो/रिवर्स लेनदेनों के लेखाकरण के लिए दिशानिर्देश

[पैरा 9.5]

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 (वर्ष 2006 का अधिनियम सं.26) में 'रेपो' और 'रिवर्स रेपो' की कानूनी परिभाषा दी गयी है (देखें अधिनियम के अध्याय III डी की धारा 45 यू की उपधाराएं (सी) और (डी) जिसके अनुसार वह प्रतिभूतियों की बिक्री (खरीद) द्वारा निधियों को उधार लेने (ऋण देने) के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकृत आगामी किसी तारीख को उधार (ऋण) ली गयी निधियों के लिए ब्याज समेत स्वीकृत मूल्य पर प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद (पुनःबिक्री) के लिए करार करने संबंधी लिखत है। तदनुसार ऐसे लेनदेनों को उनकी वास्तविक आर्थिक व्यावहारिकता के साथ तुलनपत्र में दर्शाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लेखाकरण दिशानिर्देश की पुनर्समीक्षा की गयी है और संशोधित सिद्धान्तों को नीचे दिया गया है।
2. **लेखाकरण दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता** - संशोधित लेखाकरण दिशानिर्देश सरकारी प्रतिभूतियों और कंपनी ऋण प्रतिभूतियों में बाज़ार रेपो लेनदेनों, ऐसी प्रतिभूतियों में त्रि-पक्षीय रेपो सहित, पर लागू होंगे। तथापि, ये लेखाकरण मानदंड भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत किये गये रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों को लागू नहीं होंगे।
3. बाज़ार सहभागी निवेश की तीन श्रेणियों अर्थात् **खरीद-बिक्री के लिए धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध और परिपक्वता तक धारित** में से किसी एक से रिपो ले सकते हैं।
4. रेपो लेनदेन का अनिवार्य तत्व अर्थात् प्रतिभूतियों की बिक्री (खरीद) द्वारा निधियों का उधार (उधार) रेपो प्रतिभागियों की बहियों में एक समझौते के साथ संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेन के समान लेखांकन द्वारा सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद करने के लिए दर्शाया जाएगा। तदनुसार रिपो विक्रेता अर्थात् निधियों का उधारकर्ता प्रथम चरण में रिपो के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियों को अपने निवेश खाते से निकाल नहीं देगा अपितु रिपो की अवधि के दौरान प्रतिभूतियों में उसकी निरंतर आर्थिक हितबद्धता को दर्शाते हुए उसे अपने निवेश खाते में ले जाते रहना जारी रखेगा (अनुलग्नक III (ए) और III (बी) में उदाहरण दिया गया है)। दूसरी ओर रिपो क्रेता अर्थात् निधियों का ऋणदाता प्रथम चरण में रिपो के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियों को अपने निवेश खाते में शामिल नहीं करेगा बल्कि उसे अलग उप-शीर्ष (अनुलग्नक III) (ए) और (III) (बी)) में दर्शाएगा। हालाँकि, प्रतिभूतियों को रेपो विक्रेता से रेपो खरीदार को हस्तांतरित किया जाएगा तथापि, सामान्य एकमुश्त बिक्री/खरीद लेनदेनों की तरह प्रतिभूतियों को रिपो विक्रेता से रिपो क्रेता को अंतरित किया जाएगा और प्रतिभूतियों के इस क्रिया को रिपो/रिवर्स रिपो खातों और प्रतिप्रविष्टियों के प्रयोग के जरिए दर्शाया जाएगा। रिपो विक्रेता के मामले में प्रथम चरण में रिपो खाते में बेची गयी प्रतिभूतियों (प्राप्त निधियों) के लिए जमा लिखा जाएगा जबकि उनकी पुनर्खरीद की जाने पर दूसरे चरण में उसे रिवर्स किया जाता है। रिपो क्रेता के मामले में रिवर्स रिपो खाते में खरीदी गयी (ऋण निधियां) प्रतिभूतियों की राशि को नामे लिखा जाता है और उनकी पुनःबिक्री की जाने पर दूसरे चरण में

उसे रिवर्स किया जाता है।

5. रिपो लेनदेन के प्रथम चरण की संविदा प्रभावी बाज़ार दरों पर की जानी चाहिये। लेनदेन का रिवर्सल (दूसरा चरण) वह होगा कि प्रथम और दूसरे चरण में प्राप्त राशियों का अंतर रिपो ब्याज में प्रदर्शित हो जाए।

6. रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों को हिसाब में लेते समय अनुपालन किये जानेवाले लेखाकरण दिशानिर्देश निम्न के अनुसार होंगे -

(i) कूपन/बट्टा

ए. रिपो विक्रेता रिपो की अवधि के दौरान रिपो के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियों पर कूपन/बट्टा उपचित करना जारी रखेगा जबकि रिपो क्रेता उसे उपचित नहीं करेगा।

बी. यदि रिपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति के ब्याज के भुगतान की तारीख रिपो अवधि के दौरान आती है तो प्रतिभूति के क्रेता द्वारा प्राप्त कूपनों को उन्हें प्राप्त करने की तारीख को विक्रेता को प्रदान किया जाए क्यों कि दूसरे चरण में विक्रेता द्वारा देय नकदी प्रतिफल कोई मध्यवर्ती नकदी प्रवाह शामिल नहीं है।

(ii) रिपो ब्याज आय/व्यय

रिपो रिवर्स रेपो कं दूसरे चरण के बाद लेनदेन पूरा होता है ,

ए. रिपो के पहले चरण तथा दूसरे चरण की प्रतिफल राशियों में अंतर को रिपो क्रेता/विक्रेता की बहियों में क्रमशः रिपो ब्याज आय/व्यय के रूप में गिना जाएगा, और

बी. रिपो ब्याज आय/व्यय खाते में बकाया शेष को लाभ तथा हानि खाते में आय अथवा व्यय के रूप में अंतरित किया जाए। तुलनपत्र की तारीख को बकाया रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों के संबंध में तुलनपत्र की तारीख तक उपचित आय/व्यय को लाभ-हानि खाते में लिया जाए। बकाया अवधि के लिए कोई भी रिपो आय/व्यय को अगली लेखा अवधि के लिए ध्यान में लिया जाए।

(iii) मार्किंग टू मार्केट

क्रेता रिपो लेनदेनों के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूतियों के बाज़ार मूल्य को, प्रतिभूति के निवेश वर्गीकरण के अनुसार बही में अंकित करता रहेगा। उदा. के लिए रिपो लेनदेनों के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तो ऐसी प्रतिभूतियों के बाज़ार दर पर मूल्यन को कम से कम तिमाही में एक बार बही में अंकित किया जाना चाहिये। जो कंपनियां किसी निवेश वर्गीकरण के मानदंडों का अनुपालन नहीं करती हैं, रिपो लेनदेनों के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियों का मूल्यन उसी प्रकार की प्रतिभूतियों के संबंध में उनके द्वारा अनुपालन किये जानेवाले मूल्यन मानदंडों के अनुसार किया जाए।

7. लेखा पद्धति

जिस लेखा पद्धति का अनुपालन किया जाना है उसे उदाहरण के साथ अनुलग्नक III (ए) और III (बी) में दिया गया है। अधिक कठोर लेखा सिद्धान्तों का उपयोग करनेवाले सहभागी उन्हीं सिद्धान्तों का प्रयोग करना जारी रखें।

8. लेखा वर्गीकरण

बैंक रिपो खाते में शेषों को अनुसूची 4 के अंतर्गत मद 1(ii) अथवा 1(iii) के अंतर्गत विनियोजित के रूप में वर्गीकृत करें। इसी प्रकार रिवर्स रिपो खाते में शेषों को अनुसूची 7 के अंतर्गत मद 1(ii) क अथवा 1(ii) ख के अंतर्गत विनियोजित के रूप में वर्गीकृत किया जाए। रिपो ब्याज व्यय खाता और रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता में शेषों को क्रमशः अनुसूची 15 (मद II अथवा III के अंतर्गत विनियोजित के रूप में) और अनुसूची 13 (मद III अथवा IV के अंतर्गत विनियोजित के रूप में) वर्गीकृत किया जाए। अन्य सहभागियों के लिए तुलनपत्र वर्गीकरण संबंधित विनियामकों द्वारा जारी किये सिद्धान्तों द्वारा नियंत्रित होंगे।

9. प्रकटीकरण

बैंकों को तुलनपत्र के नोट्स ऑन एकाउंट्स में निम्नलिखित प्रकटीकरण करने चाहिये।

जैसा कि 30 अगस्त 2021 के वित्तीय विवरण-प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण पर मास्टर निदेश के अनुलग्नक III-सी.3(ई) में दिया गया है।

रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों के लिए संस्तुत लेखा पद्धति

[अनुलग्नक III का पैरा 7]

- (i) निम्नलिखित खाते बनाए रखे जाएं अर्थात् i) रिपो खाता, ii) रिवर्स रिपो खाता, iii) रिवर्स रिपो ब्याज आय खाता, iv) रिपो ब्याज व्यय खाता, v) रिवर्स रिपो ब्याज प्राप्य राशि खाता और vi) रिपो देय ब्याज खाता
- (ii) उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित 'प्रति' खाते भी बनाये रखे जाएं, अर्थात् i) रिपो खाते के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियां, ii) रिवर्स रिपो खाते के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां और iii) रिपो खाते के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियां और iv) रिवर्स रिपो खाते के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियां

रिपो

- (i) रिपो लेनदेन के पहले चरण में प्रतिभूतियों को बाज़ार संबंधित मूल्यों पर बेचा जाए और दूसरे चरण में उन्हीं मूल्यों पर पुनः खरीदा जाए। तथापि, दूसरे चरण में प्रतिफल राशि में रिपो ब्याज शामिल होगा। बिक्री तथा पुनः खरीद को रिपो खाते में दर्शाया जाए।
- (ii) यद्यपि प्रतिभूतियों को रिपो विक्रेता के निवेश खाते से निकाल नहीं दिया गया है और रिपो क्रेता के निवेश खाते में शामिल नहीं किया गया है, प्रतिभूतियों का अंतरण आवश्यक प्रति प्रविष्टियों के जरिये दर्शाया जाएगा।

रिवर्स रिपो

- (i) रिवर्स रिपो लेनदेन में पहले चरण में प्रतिभूतियों को प्रचलित बाज़ार मूल्य पर खरीदा जाए तथा दूसरे चरण में उसी मूल्य पर बेचा जाए। तथापि दूसरे चरण में प्रतिफल राशि में रिपो ब्याज शामिल होगा। खरीद तथा बिक्री रिवर्स रिपो खाते में दर्शायी जानी चाहिये।
- (ii) रिवर्स रिपो खाते में शेष तुलनपत्र के प्रयोजन के लिए निवेश खाते का भाग नहीं होंगे किंतु उन्हें सांविधिक चलनिधि अनुपात के प्रयोजनों से ध्यान में किया जा सकता है यदि रिवर्स रिपो लेनदेनों के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूतियां अनुमोदित प्रतिभूतियां हों।

रिपो रिवर्स रिपो से संबंधित अन्य पहलू

- (i) यदि रिपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति के ब्याज के भुगतान की तारीख रिपो अवधि में आती है तो प्रतिभूति के क्रेता द्वारा प्राप्त कूपनों को प्राप्ति की तारीख को विक्रेता को दिया जाए क्योंकि दूसरे चरण में विक्रेता द्वारा देय नकदी प्रतिफल में कोई मध्यवर्ती नकदी प्रवाह शामिल नहीं है।
- (ii) लेखा अवधि के अंत में बकाया रिपो लेनदेनों के संबंध में ब्याज के उपचय को दर्शाने के लिए क्रेता/विक्रेता की बहियों में क्रमशः रिपो ब्याज आय/व्यय को दर्शाने के लिए लाभ तथा हानि खाते में उचित प्रविष्टियां पारित की जाएं तथा उसे देय व्यय/प्राप्य आय के रूप में नामे डाला/जमा किया जाए। इस तरह से पारित प्रविष्टियों को अगली लेखा अवधि के पहले कार्य दिन को रिवर्स किया जाए।

- (iii) रिपो विक्रेता रिपो अवधि में भी यथास्थित कूपन/बट्टा उपचित करना जारी रखता है जबकि रिपो क्रेता उसे उपचित नहीं करेगा।
- (iv) व्याख्यात्मक उदाहरण अनुलग्नक III (बी) में दिये गये हैं।
-

रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेनों के लेखांकन के लिए व्याख्यात्मक उदाहरण
[अनुलग्नक III का पैरा 7]

जब कि इस परिपत्र की विषयवस्तु में 'रेपो' और रिवर्स रेपो (जो रेपो लेनदेन का प्रतिरूप है) दोनों को समाविष्ट करने के लिए सामान्यतया प्रयोग किया गया है, इस अनुलग्नक में रेपो और रिवर्स रेपो के संबंध में लेखाकरण सिद्धान्तों को स्पष्टता के लिए अलग-अलग निर्दिष्ट किया गया है।

क. दिनांकित प्रतिभूति का रेपो/रिवर्स रेपो

1. कूपन धारित प्रतिभूति में रेपो विवरण :

रेपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति	7.17% 2028	
कूपन भुगतान तारीखें	08 जनवरी और 08 जुलाई	
प्रतिभूति का बाज़ार मूल्य	₹96.9000	(1)
रेपो की तारीख	26-मार्च-2018	
रेपो ब्याज दर	6.00%	
रेपो प्रवर्तनावधि रेपो की रिवर्सल तारीख	8 दिन 03-अप्रैल-2018	
प्रथम चरण के लिए खंडित अवधि ब्याज*	$7.17\% \times 78 / 360 \times 100 = ₹1.5535$	(2)
प्रथम चरण रेपो के लिए नकदी प्रतिफल	(1) + (2) = ₹98.4535	(3)
रेपो ब्याज **	₹98.4535 $\times 8 / 365 \times 6.00\%$ = ₹0.1295	(4)
दूसरे चरण के लिए नकद प्रतिफल	(3)+(4) = ₹98.4535 + ₹0.1295 = ₹98.5830	

* 30/360 दिवस गणना पद्धति के आधार पर दिनगणना

** वास्तविक/365 दिवस गणना पद्धति के आधार पर दिनगणना

2. रेपो विक्रेता के लिए लेखापद्धति (निधियों का उधारकर्ता)

प्रथम चरण

	नामे	जमा
नकदी	98.4535	
रेपो खाता		98.4535

रेपो खाते के अंतर्गत वसूली योग्य प्रतिभूतियां (प्रति द्वारा)	98.4535	
रेपो खाते के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियां (प्रति द्वारा)		98.4535

दूसरा चरण

	नामे	जमा
रेपो खाता	98.4535	
रेपो ब्याज व्यय खाता	0.1295	
नकदी खाता		98.5830
रेपो खाते के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियां (प्रति द्वारा)	98.4535	
रेपो खाते के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियां(प्रति द्वारा)		98.4535

3. रेपो क्रेता के लिए लेखापद्धति (निधियों का ऋणदाता)

प्रथम चरण

	नामे	जमा
रिवर्स रिपो खाता	98.4535	
नकदी खाता		98.4535
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां (प्रति द्वारा)	98.4535	
रिवर्स रिपो खाते के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियां (प्रति द्वारा)		98.4535

दूसरा चरण

	नाम	जमा
नकदी खाता	98.5830	
रिवर्स रेपो खाता		98.4535
रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता		0.1295
रिवर्स रेपो खाते के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियां (प्रति द्वारा)	98.4535	
रिवर्स रेपो खाते के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां (प्रति द्वारा)		98.4535

4. समायोजन खातों के लिए बहियों में प्रविष्टियां

रेपो खाते के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियां

नामे		जमा	
रिपो खाता (प्रथम चरण) के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियाँ	98.4535	रिपो खाता (दूसरा चरण) के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियाँ	98.4535

रेपो खाता के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियाँ

नाम		जमा	
रेपो खाता (दूसरे चरण) के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियाँ	98.4535	रेपो खाता (रेपो प्रथम चरण) के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियाँ	98.4535

रेपो खाता के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ

नाम		जमा	
रिवर्स रेपो खाता (रिवर्स रेपो (दूसरा चरण) के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियाँ	98.4535	रिवर्स रेपो खाता (रिवर्स रेपो (दूसरा चरण) के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियाँ	98.4535

वितरण योग्य प्रतिभूतियाँ

नाम		जमा	
रिवर्स रेपो खाता (दूसरा चरण)के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ	98.4535	रिवर्स रेपो खाता (प्रथम चरण) के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ	98.4535

5. यदि तुलनपत्र तारीख रेपो की प्रवर्तनाधि के दौरान आ जाती है, सहभागी संक्रमण खातों का अर्थात् रेपो देय ब्याज खाते और रिवर्स रेपो प्राप्य ब्याज खाते का उपचित ब्याज को रिकार्ड करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और अगले दिन उसे रिवर्स करें। रेपो प्राप्य ब्याज और देय ब्याज को तुलनपत्र में उचित प्रविष्टियों को पास करते हुए निम्नानुसार लाभ और हानि लेखे में लिया जाएगा।

लेनदेन चरण	प्रथम चरण	तुलनपत्र तारीख	दूसरा चरण
तारीख	26-मार्च-18	31-मार्च-18	03-अप्रैल Apr-18

(क) 31 मार्च 2018 को रेपो बिक्रेता (निधियों का उधारकर्ता) की बहियों में प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	नाम	जमा
रेपो ब्याज व्यय खाता (लाभ और हानि में अंतरित किये जानेवाले लेखे में शेष)	0.0971 (6 दिन के लिए रेपो ब्याज के रूप में)	
रेपो ब्याज व्यय खाता		0.0971

लेखा शीर्ष	नाम	जमा
लाभ और हानि खाता	0.0971	
रेपो ब्याज व्यय खाता		0.0971

(ख) 1 अप्रैल 2018 को रेपो बिक्रेता (निधियों का उधारकर्ता) की बहियों में प्रविष्टियों का रिवर्सल

लेखा शीर्ष	नाम	जमा
रेपो दाय ब्याज खाता	0.0971	
रेपो ब्याज व्यय खाता		0.0971

ग) 31 मार्च 2018 को रेपो क्रेता(निधियों का उधारकर्ता)की बहियों में प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	नाम	जमा
रिवर्स रेपो प्राप्य ब्याज खाता	0.0971	
रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता (लाभ और हानि लेखे में अंतरित किये जानेवाले खाते में शेष)		0.0971 (06 दिन के लिए ब्याज के रूप में)

लेखा शीर्ष	नाम	जमा
रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता	0.0971	
लाभ एवं हानि खाता		0.0971

घ) 1 अप्रैल 2018 को रेपो क्रेता (निधियों का उधारकर्ता) की बहियों में प्रविष्टियों का रिवर्सल

लेखा शीर्ष	नामे	जमा
रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता	0.0971	
रिवर्स रेपो प्राप्य ब्याज खाता		0.0971

ख. रेपो/रिवर्स रेपो खजाना बिल

1. खज़ाना बिल पर रेपो विवरण

रेपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति	21 जून 2018 को अवधिपूर्ण होनेवाले भारत सरकार के 91 दिवसीय खजाना बिल	
रेपो के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूति का मूल्य	₹ 98.5785	(1)
रेपो तारीख	26-Mar-2018	
रेपो ब्याज दर	6.00%	
रेपो अवधि	8 days	
प्रथम चरण के लिए कुल नकदी प्रतिफल	₹ 98.5785	(2)
रेपो ब्याज*	₹ 98.5785 × 6% × 8/365 = ₹ 0.1296	(3)
दूसरे चरण के लिए नकदी नकदी प्रतिफल	(2)+(3) = ₹ 98.5785 + ₹ 0.1296 = ₹ 98.7081	

* वास्तविक/365 दिन गणना पद्धति का प्रयोग करते हुए

2. रेपो विक्रेता (निधियों का उधारकर्ता) के लिए लेखांकन

प्रथम चरण

	नाम	जमा
नकदा	98.5785	
रपा खाता		98.5785

रेपो खाते के अंतर्गत (प्रात के जरिये) प्राप्य प्रतिभूतियां	98.5785	
रेपो खाते के अंतर्गत (प्रात के जरिये) बेची गयी प्रतिभूतियां		98.5785

दूसरा चरण

	नाम	जमा
रेपो खाता	98.5785	
रेपो ब्याज व्यय खाता	0.1296	
नकदा खाता		98.7081
रेपो खाते के अंतर्गत बेची गयी प्रातभूतिया (प्रात के जरिये)	98.5785	
रेपो खाते के अंतर्गत प्राप्य प्रातभूतिया (प्रात के जरिये)		98.5785

3. रेपो क्रेता के लिए लेखाकरण (निधियों का उधारकर्ता)

प्रथम चरण

	नाम	जमा
रिवर्स रेपो खाता	98.5785	
नकदी खाता		98.5785
रिवर्स रेपो खाते के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां (प्रात के जरिये)	98.5785	
रिवर्स रेपो खाते के अंतर्गत वितरणयोग्य प्रतिभूतियां (प्रात के जरिये)		98.5785

दूसरा चरण

	नाम	जमा
नकदी खाता	98.7081	
रिवर्स रेपो खाता		98.5785
रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता		0.1296
रिवर्स रेपो खाते के अंतर्गत सुपूदर्गी योग्य प्रतिभूतियां (प्रात के जरिये)	98.5785	
रिवर्स रेपो खाते के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां (प्रात के जरिये)		98.5785

4. समायोजन खातों के लिए बही प्रविष्टियां

रेपो खाते के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियां

नाम		जमा	
रेपो खाता (रेपो प्रथम चरण)के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियां	98.5785	रेपो खाता(रेपो का दूसरा चरण)के अंतर्गत बेची गयी प्रतिभूतियां	98.5785

रेपो खाते के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां

नाम		जमा	
रेपो खाता (रेपो दूसरा चरण)के अंतर्गत प्राप्य प्रतिभूतियां)	98.5785	रेपो खाता (रेपो प्रथम चरण) के अंतर्गत वितरणयोग्य प्रतिभूतियां	98.5785

रेपो खाते के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां

नाम		जमा	
रेपो खाता (रिवर्स रेपो प्रथम चरण) के अंतर्गत वितरणयोग्य प्रतिभूतियां	98.5785	रिवर्स रेपो खाता (रिवर्स रेपो दूसरा चरण) के अंतर्गत वितरणयोग्य प्रतिभूतियां	98.5785

रिवर्स रेपो खाता के अंतर्गत वितरण योग्य प्रतिभूतियां

नाम		जमा	
रिवर्स रेपो खाता (रिवर्स रेपो दूसरा चरण) के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां	98.5785	रिवर्स रेपो खाता (रिवर्स रेपो प्रथम चरण) के अंतर्गत खरीदी गयी प्रतिभूतियां	98.5785

5. यदि तुलनपत्र तारीख रेपो की प्रवर्तनावधि के प्रवर्तनावधि के दौरान आ जाती है, सहभागी संक्रमण खातों का अर्थात् रेपो देय ब्याज को रिकार्ड करने के लिए उपयोग कर सकते हैं और अगले दिन उसे रिवर्स करें। रेपो प्राप्य ब्याज और देय ब्याज को तुलनपत्र में उचित प्रविष्टियों को पास करते हुए निम्नानुसार ले जाया जाएगा –

लेनदेन चरण	प्रथम चरण	तुलनपत्र तारीख	दूसरा चरण
तारीखें	26-मार्च -18	31-मार्च -18	03-अप्रैल-18

(क) 31 मार्च 2018 को रेपो विक्रेता (निधियों का उधारकर्ता) की बहियों में प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	नाम	जमा
रेपो ब्याज व्यय खाता (खाते में शेष जो लाभ व हानि में अंतरित किये जाएंगे)	0.09723 (6 दिन के रेपो ब्याज के रूप में)	
रेपो देय ब्याज खाता		0.09723

लेखा शीर्ष	नाम	जमा
लाभ और हानि खाता	0.09723	
रेपो ब्याज व्यय खाता		0.09723

ख) 1 अप्रैल 2018 को रेपो विक्रेता (निधियों का उधारकर्ता) की बहियों में प्रविष्टियों का रिवर्सल

लेखा शीर्ष	नाम	जमा
रेपो देय ब्याज खाता	0.09723	
रेपो ब्याज व्यय खाता		0.09723

ग) 31 मार्च 2018 को रेपो क्रेता (निधियों का उधारकर्ता) की बहियों में प्रविष्टियां

लेखा शीर्ष	नाम	जमा
रिवर्स रेपो ब्याज प्राप्य खाता	0.09723	
रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता (खाते में शेष जो लाभ व हानि में अंतरित किये जाएंगे)		0.09723 (6 दिन के रेपो ब्याज के रूप में)

लेखा शीर्ष	नाम	जमा
रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता	0.09723	
लाभ व हानि खाता		0.09723

घ) 1 अप्रैल 2018 को रेपो क्रेता (निधियों का उधारकर्ता) की बहियों में प्रविष्टियों का रिवर्सल

लेखा शीर्ष	नाम	जमा
रिवर्स रेपो ब्याज आय खाता	0.09723	
रिवर्स रेपो ब्याज प्राप्य खाता		0.09723

एआरसी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश

[पैरा 12.2]

1. व्याप्ति

ये दिशा-निर्देश सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरैस्ट एक्ट, 2002(सरफेसी एक्ट) के अंतर्गत एआरसी के लिए बहुराज्य सहकारी बैंकों द्वारा नीचे पैराग्राफ 3 में दी गयी वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर लागू होंगे ।

2. ढांचा

उक्त अधिनियम के अंतर्गत एआरसी को बहुराज्य सहकारी बैंकों द्वारा अपनी वित्तीय आस्तियों की बिक्री करते समय और एआरसी द्वारा दिये जाने वाले बांडों/ डिबेंचरों/ प्रतिभूति रसीदों में निवेश करते समय अपनाये जाने वाले दिशा-निर्देश नीचे दिये गये हैं। विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत समूहबद्ध किये गये हैं

- i) ऐसी वित्तीय आस्तियां जिनकी बिक्री की जा सकती है ।
- ii) बहुराज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय आस्तियों की एआरसी को बिक्री, इसमें मूल्यन और कीमत निर्धारित करने के पहलू शामिल हैं, के लिए क्रियाविधि ।
- iii) बहुराज्य सहकारी बैंकों अपनी वित्तीय आस्तियों की बिक्री करते समय और **एआरसी** द्वारा वित्तीय आस्तियों की बिक्री के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति के रूप में ऑफर किये जाने वाले बांडों/ डिबेंचरों/ प्रतिभूति रसीदों और किसी अन्य प्रतिभूति में निवेश करते समय निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनाये जाने वाले विवेकपूर्ण मानदंड :

क) प्रावधान करने संबंधी मानदंड

ख) पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंड

ग) एक्सपोजर मानदंड

- iv) प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएं

3. वित्तीय आस्तियां, जिनकी बिक्री की जा सकती है :

बहुराज्य सहकारी बैंक द्वारा एआरसी को वित्तीय आस्ति उस स्थिति में बेची जा सकती है जहां वह आस्ति :

- i) अनर्जक आस्ति है, इसमें अनर्जक बांड/ डिबेंचर शामिल हैं, और
 - ii) मानक आस्ति हो, जहां
- (क) वह आस्ति वाणिज्यिक बैंक तथा बहुराज्य सहकारी बैंक के साथ सदस्य बैंक के रूप में सहायता संघ/ बहुविध बैंकिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत हो

- (ख) आस्ति के मूल्य के अनुसार कम से कम 75% को अन्य बैंकों की बहियों में अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, और
- (ग) ऐसे बैंक, जो सहायता संघीय/ बहुविध बैंकिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत हो, की कम से कम 75% (मूल्य के अनुसार) आस्ति की बिक्री/ एआरसी को करने के लिए सहमत हों।

4. मूल्यन और कीमत निर्धारित करने के पहलुओं सहित बहुराज्य सहकारी बैंकों की वित्तीय आस्तियों की एआरसी को बिक्री की प्रक्रिया

क) सिक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरैस्ट एक्ट, 2002 किसी बैंक/ वित्तीय संस्था से एआरसी द्वारा वित्तीय आस्तियों के दोनों के बीच सहमत शर्तों पर अभिग्रहण की अनुमति देता है। इसमें वित्तीय आस्तियों की 'आश्रय रहित' आधार पर बिक्री का प्रावधान है, अर्थात् वित्तीय आस्तियों से संबद्ध समग्र ऋण जोखिम एआरसी को अंतरित करने की शर्त पर तथा 'आश्रय सहित' आधार पर अर्थात् आस्ति का वसूल न किया गया भाग विक्रेता बैंक/ वित्तीय संस्था को वापस किये जाने की शर्त पर एआरसी को अंतरित करने का प्रावधान है। तथापि बहुराज्य सहकारी बैंक को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है कि वित्तीय आस्तियों की बिक्री का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि आस्ति बैंक की बहियों से हट जाये और बिक्री के बाद बहुराज्य सहकारी बैंकों पर कोई ज्ञात देयता न आये।

ख) ऐसे बहुराज्य सहकारी बैंकों को, जो एआरसी को अपनी वित्तीय आस्तियां बेचने वाली हैं, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिक्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार विवेकपूर्ण ढंग से की जाती है। बोर्ड द्वारा नीतियां और दिशा-निर्देश तैयार किये जाने चाहिए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हों —

- (i) बेची जाने वाली वित्तीय आस्ति;
- (ii) ऐसी वित्तीय आस्ति की बिक्री के लिए मानदंड और क्रियाविधि;
- (iii) वित्तीय आस्तियों के वसूली योग्य मूल्य का उचित रूप से अनुमान लगाया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए अपनायी जाने वाली मूल्यन क्रियाविधि;
- (iv) वित्तीय आस्तियों की बिक्री के संबंध में निर्णय लेने के लिए विभिन्न अधिकारियों के अधिकारों का प्रत्यायोजन

(ग) बहुराज्य सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआरसी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के बाद, उन पर वित्तीय आस्तियों के संबंध में कोई परिचालनगत, कानूनी या अन्य किसी प्रकार का जोखिम नहीं आता।

(घ) (i) प्रत्येक बैंक वित्तीय आस्ति के लिए एआरसी द्वारा लगाये गये मूल्य का अपनी ओर से मूल्यांकन करेगी और यह निर्णय करेगी कि उसे स्वीकार किया जाये या अस्वीकार किया जाये।

(ii) सहायता संघ (कंसॉर्टियम)/ बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के मामलों में यदि 75 प्रतिशत (मूल्यानुसार) बैंक प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं तो शेष बहुराज्य सहकारी बैंकों को भी उसे स्वीकार करना होगा।

- (iii) किसी भी परिस्थिति में एआरसी को किया गया अंतरण आकस्मिक मूल्य पर नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कि एआरसी कंपनी द्वारा वसूली में हुई कमी की स्थिति में बहुराज्य सहकारी बैंकों को कमी के एक भाग को वहन करना पड़े।
- (ड) बैंक एआरसी को बेची गयी आस्तियों के प्रतिफल के रूप में नकदी अथवा बांड अथवा डिबेंचर प्राप्त कर सकती हैं।
- (च) एआरसी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के प्रतिफल के रूप में बैंकों को प्राप्त बांडों/ डिबेंचरों को बहुराज्य सहकारी बैंकों की बहियों में निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।
- (छ) बैंक एआरसी द्वारा जारी सिक्यूरिटी रसीदों अथवा अन्य बांडों/ डिबेंचरों में भी निवेश कर सकते हैं। इन प्रतिभूतियों को भी बहुराज्य सहकारी बैंकों की बहियों में निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।
- (ज) बैंक यदि आवश्यक समझें तो किन्हीं विशेष वित्तीय आस्तियों के संबंध में, एआरसी से इस आशय का समझौता कर सकती हैं कि प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा संबंधित आस्तियों की अंततः बिक्री से प्राप्त अधिशेष (सरप्लस) की राशि आपसी सहमति से निर्धारित अनुपात में बांटी जाये। ऐसी स्थिति में, बिक्री की शर्तों में यह बात शामिल होनी चाहिए कि एआरसी आस्तियों की बिक्री से प्राप्त मूल्य के संबंध में बैंक/ वित्तीय संस्था को इस संबंध में एक रैपोर्ट दें। संभावित लाभ को बहुराज्य सहकारी बैंकों द्वारा तब तक हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि आस्ति की बिक्री से लाभ वास्तव में प्राप्त नहीं हो जाता।

5. बिक्री संबंधी लेन-देनों के संबंध में बहुराज्य सहकारी बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

(क) प्रावधानीकरण/ मूल्यांकन का मानदंड

- (क) (i) जब कोई बैंक अपनी वित्तीय आस्तियां एआरसी को अंतरित करती है तो उसे बैंक की बहियों में नहीं रखना चाहिए।
- (ii) यदि एआरसी को की गयी बिक्री की राशि शुद्ध बही मूल्य (अर्थात् बही मूल्य में से किये गये प्रावधान को घटाकर) से कम हो तो, कमी की राशि को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में नामे करना चाहिये।
- (iii) बहु-राज्यीय शहरी सहकारी बैंकों को अपने लाभ और हानि खाते में एनपीए की बिक्री पर एनबीवी से अधिक मूल्य के लिए बिक्री होने पर अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानी खाते में वापस करने की अनुमति है। हालांकि, बैंक एनपीए की बिक्री से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त प्रावधान को तभी वापस कर सकते हैं जब प्राप्त नकद (प्रारंभिक विचार और/या सुरक्षा रसीद/पास थ्रू प्रमाणपत्रों के मोचन के माध्यम से) एआरसी को बेचे गए एनपीए के एनबीवी से अधिक हो। इसके अलावा, लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा उस सीमा तक सीमित होगी, जिस सीमा तक नकदी बेची गई एनपीए के एनबीवी से अधिक है। एनपीए की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा का प्रकटीकरण बैंक के वित्तीय

विवरणों में "नोट्स टू अकाउंट" के तहत किया जाएगा।

(iv) जब बैंक एआरसी को बिक्री की गयी स्वयं की वित्तीय आस्तियों के संबंध में एआरसी द्वारा जारी सिक्यूरिटी रसीदों में निवेश करती हैं, तब ऐसी बिक्री को बहुराज्य सहकारी बैंकों की बहियों में निम्नलिखित में से जो राशि कम हो, उसे लेना चाहिए:

- सिक्यूरिटी रसीदों का विमोचन मूल्य, और
- वित्तीय आस्ति का शुद्ध बही मूल्य

उक्त निवेश को उसकी बिक्री अथवा वसूली होने तक बैंक/ वित्तीय संस्था की बहियों में उपर्युक्त प्रकार से निर्धारित मूल्यानुसार लिखा जाना चाहिए और उसकी बिक्री अथवा वसूली पर, लाभ अथवा हानि को उपर्युक्त (ii) और (iii) में बताये गये अनुसार हिसाब में लेना चाहिए।

(ख) एआरसी द्वारा दी गयी प्रतिभूतियों (बांडों और डिबेंचरों) को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए:

- (i) प्रतिभूतियों की अवधि छह वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ii) प्रतिभूतियों की ब्याज दर उन्हें जारी करने के समय प्रचलित "बैंक दर" से 1.5 प्रतिशत अधिक हो लेकिन उससे कम न हो।
- (iii) प्रतिभूतियों को, अंतरित की गयी आस्तियों पर उचित प्रभार के द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए।
- (iv) एआरसी द्वारा प्रतिभूति की अवधिपूर्णता की तारीख से पूर्व जमानत रखी आस्ति की बिक्री की स्थिति में, प्रतिभूति के आंशिक अथवा पूर्ण पूर्व भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (v) प्रतिभूतियों को छुड़ाने की एआरसी की वचनबद्धता शर्तहित होनी चाहिए और वह आस्तियों की वसूली से जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए।
- (vi) जब कभी भी प्रतिभूति किसी अन्य पार्टी को अंतरित की जाये, तो अंतरण की सूचना एआरसी को दी जानी चाहिए।

(ग) एआरसी द्वारा जारी डिबेंचरों/ बांडों/ सिक्यूरिटी रसीदों में निवेश

बहुराज्य सहकारी बैंकों द्वारा बेची गयी वित्तीय आस्तियों के प्रतिफल के रूप में एआरसी से प्राप्त सभी लिखत और एआरसी द्वारा अन्य लिखत जिनमें बहुराज्य सहकारी बैंकों ने निवेश किया हो, सांविधिक चलनिधि अनुपात (एस एल आर) की प्रतिभूति नहीं होंगे। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात से भिन्न लिखतों में निवेश पर लागू मूल्यनिर्धारण, वर्गीकरण तथा अन्य मानदंड एआरसी जारी डिबेंचरों/ बांडों/ प्रतिभूति रसीदों में बहुराज्य सहकारी बैंकों के निवेश पर लागू होंगे। परन्तु, यदि एआरसी द्वारा जारी उपर्युक्त में से कोई भी लिखत संबंधित योजना में लिखतों में विनिर्दिष्ट वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक ही सीमित हो तो बैंक ऐसे निवेशों के मूल्य निर्धारण के प्रयोजनार्थ एआरसी से समय-समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर भी विचार कर सकता/ सकती है।

(ख) पूंजी पर्याप्तता

पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजनार्थ, बहुराज्य सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे एआरसी द्वारा जारी और बहुराज्य सहकारी बैंकों द्वारा निवेश के रूप में धारित डिबेंचरों/ बांडों/ प्रतिभूति रसीदों में जोखिम भार का निर्धारण निम्नानुसार करें :

- i) ऋण आदि जोखिम के लिए जोखिम भार : 100%

ii) बाजार जोखिम के लिए जोखिम भार : 2.5%

लागू जोखिम भार = (i) + (ii)

(ग) एक्सपोजर संबंधी मानदंड

एआरसी द्वारा जारी डिबेंचरों/ बांडों में बहुराज्य सहकारी बैंकों के निवेश एआरसी से संबंधित एक्सपोजर के घटक बनेंगे। चूंकि अभी तो कुछ ही एआरसी की स्थापना की जा रही है, इसलिए एआरसी द्वारा जारी डिबेंचरों/ बांडों/ प्रतिभूति रसीदों/ पी टी सी में उनके निवेशों के जरिये बहुराज्य सहकारी बैंकों के एआरसी से संबंधित निवेश उनके विवेकपूर्ण निवेश की उच्चतम सीमा से बाहर रह सकते हैं। असामान्य परिस्थितियों में, बहुराज्य सहकारी बैंकों को यह अनुमति होगी कि वे प्रारंभिक वर्षों में, मामला-दर-मामला आधार पर विवेकपूर्ण निवेश की उच्चतम सीमा से बाहर जा सकते हैं।

6. प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएं

एआरसी को वित्तीय आस्तियां बेचने वाले बहुराज्य सहकारी बैंकों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिनांक 30 अगस्त 2021 को वित्तीय निपटान – प्रस्तुति और प्रकटीकरण पर मास्टर निदेश के अनुलग्नक III-ग .4 (च)(i) में प्रदत्त अपने तुलनपत्रों के खातों से संबंधित टिप्पणियों में प्रकटीकरण करना अपेक्षित होगा :

7. संबंधित मामले

क) एआरसी उन वित्तीय आस्तियों को भी अपने अधिकार में लेगी जिन्हें पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता और जिन्हें वसूली आधार पर निपटाया जाना है। सामान्यतः एआरसी ऐसी आस्तियों को अपने अधिकार में नहीं लेगी किन्तु वह वसूली के लिए एजेंट के रूप में कार्य करेगी, जिसके लिए वह शुल्क लेगी।

ख) जहां आस्तियां उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आती हैं, उन आस्तियों को बैंक/ वित्तीय कंपनी की बहियों से हटाया नहीं जायेगा किन्तु वसूली जब भी प्राप्त होगी उसे आस्ति खाते में जमा किया जायेगा। बैंक सामान्यतः आस्तियों के लिए प्रावधान करती रहेगी।

अनुलग्नक ए

ए. मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.क्र.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
1.	डीओआर.(पीसीबी).बीपीडी.परि.सं.11/16.20.000/2019-20	20.04.2020	सभी समावेशी निदेशों के तहत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के इंटरबैंक एक्सपोजर पर प्रावधान
2.	डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं..10/16.20.000/2018-19	10.06.2019	परिपत्रता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों की बिक्री - लेखांकन उपचार
3.	डीबीआर.सं.आरईटी.बीसी.10/12.02.001/2018-19	05.12.2018	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 और धारा 56 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का रखरखाव
4.	डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.02/16.20.000/2018-19	16.08.2018	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश - द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिए स्वीकृत प्रतिपक्षकार
5.	डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.002/21.04.141/2018-19	27.07.2018	बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - राज्य विकास ऋणों का मूल्यांकन
6.	एफएमआरडी.डीआईआरडी.05/14.03.007/2018-19	25.07.2018	सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन - लघु बिक्री
7.	एफएमआरडी.डीआईआरडी.03/14.03.007/2018-19	24.07.2018	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में 'जब जारी' (डबल्यूआई) बाजार में लेनदेन
8.	एफएमआरडी.डीआईआरडी.01/14.03.038/2018-19	24.07.2018	पुनर्खरीद लेनदेन (रेपो) (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2018
9.	डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी)परि.सं.1/16.20.000/2018-19	06.07.2018	बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड - सहकारी बैंकों द्वारा एमटीएम हानियों का प्रसार और निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) का निर्माण

सं.क्र.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
10.	एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/2017-18	31.03.2018	फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के मूल्यांकन का अधिग्रहण। लिमिटेड (एफबीआईएल) - पोर्टफोलियो का मूल्यांकन
11.	डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं..8/16.20.000/2015-16	19.11.2015	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियों का स्थान
12.	डीसीबीआर.बीपीडी.(एमएससीबी).परि.सं..1/13.05.000/2014-15	14.05.2015	प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश - उत्क्रमण एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री पर अधिक प्रावधान का
13.	शबैवि.बीपीडी (पीसीबी) परि. सं. 68/16.26.000/2013-14	05.06.2014	बैंककारी विधि) संशोधन (अधिनियम 2012- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू (की धारा 18 और 24 में संशोधन - गैर- अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात)सीआरआर (और शहरी सहकारी बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात)एसएलआर (का अनुरक्षण
14.	शबैवि.बीपीडी (पीसीबी) परि. सं. 58/16.20.000/2013-14	07.05.2014	बाज़ार अवसंरचना (मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर) सहकारी (शहरी) कंपनियों में प्राथमिक बैंकों द्वारा निवेश
15.	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.53/13.05.000/2013-14	28.03.2014	बहुराज्य शहरी सहकारी बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/(पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर दिशानिर्देश
16.	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.9/09.29.000/2013-14	04.09.2013	सरकारी प्रतिभूतियों का द्वितीयक बाज़ार लेनदेन - अंतर्दिवसीय अधिविक्रय (शार्ट सेलिंग)
17.	शबैवि.बीपीडी.(एससीबी)परिपत्र सं.4/16.20.000/2012-13	10.06.2013	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा

सं.क्र.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
18.	आइडीएमडी.पीसीडी.सं.1423/ 14.03.02/2012-13	30.10.2012	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति देना
19.	शबैवि.(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.17/ 12.056.001/2011-12	03.01.2012	तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) – ऑर्डर मैचिंग (ओएम) – शहरी सहकारी बैंकों को सदस्यता
20.	आइडीएमडी.डीओडी.सं13/ 10.25.66/ 2011-12	18.11.2011	तयशुदा लेन-देन प्रणाली को सीधी पहुंच-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम)
21.	शबैवि.केंका.(पीसीबी)बीपीडी परि.सं.6/ 09.11.00/ 2011-12	25.10.2011	एसजीएल और सीएसजीएल खाते – पात्रता मानदंड और परिचालन दिशा निर्देश
22.	आइडीएमडी सं 29/11.08.043/ 2010- 11	30.05.2011	रिपो/रिवर्स रिपो लेन-देनों के लेखांकन हेतु दिशानिर्देश
23.	शबैवि.(पीसीबी)बीपीडी परि. सं.36/ 16.20.000/ 2010-11	18.02.2011	जीरो कुपन बांडो में निवेश पर विवेकपूर्ण मानदंड
24.	शबैवि.(पीसीबी) परि. सं. 34/ 09.80.000/ 2010-11	18.01.2011	निवेश की लेखांकन पद्धति - निपटान तिथि लेखांकन
25.	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि. सं. 24/ 12.05.001/ 2010-11	16.11.2010	भारतीय रिजर्व बैंक में चालू खाता तथा एसजीएल खाता खोलना और इन्फिनेट तथा आरटीजीएस प्रणाली की सदस्यता
26.	आइडीएमडी.पीसीडी. सं.22/ 11.08.38/2010-11	09.11.2010	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा
27.	शबैवि.केंका.बीएसडी.पीसीबी. परि. सं. 68/ 12.22.351/ 2009-10	07.06.2010	समाशोधन सुविधा प्राप्त करने हेतु प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमा रखना
28.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं. 63/16.20.000/2009-10	04.05.2010	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर-सूचीबद्ध गैर एस एल आर प्रतिभूतियों में निवेश
29.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं. 62/16.20.000/2009-10	30.04.2010	इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यकलाप करनेवाली कंपनियों द्वारा जारी बांडो में किए गए निवेश का वर्गीकरण
30.	शबैवि.(पीसीबी).बीपीडी परि.सं.52/09.11.000/2009-10	05.04.2010	सीएसजीएल खाते रखना
31.	आइडीएमडी सं. 4135/11.08.43/ 2009- 10	23.03.2010	रिपो/ रिवर्स रिपो लेन-देन के लेखाकरण की पद्धति

सं.क्र.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
32.	आईडीएमडी.डीओडी.सं.05/ 11.08.38/2009-10	08.01.2010	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदा
33.	शबैवि.(पीसीबी).बीपीडी. सं.34/16.26. 000/2009-10	17.12.2009	बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 24 - शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
34.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.27/16.20.000/2009-10	03.12.2009	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश पर मासटर परिपत्र का शुद्धिपत्र
35.	आईडीएमडी.डीओडी.सं. 334/11.08.36/ 2009-10	20.07.2009	तैयार वायदा संविदाएं
36.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी).सं.47/16.20.000/ 2008-09	30.01.2009	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमाराशियों का निवेश
37.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी).सं.46/16.20.000/ 2008-09	30.01.2009	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों में निवेश
38.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी).सं.37/16.20.000/ 2008-09	21.01.2009	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)- शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश-धारा 24क के अंतर्गत छूट
39.	शबैवि.बीपीडी(पीसीबी).सं.28/16.20.000/2008-09	26.11.2008	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू)- शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
40.	शबैवि.बीपीडी.सं.56/ 16.20.000/2007-08	17.06.2008	भारत सरकार द्वारा जारी गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का मूल्यन
41.	आईडीएमडी.सं.3166/11.01.01 (बी)	01.01.2008	सरकारी प्रतिभूतियों में "कब जारी" लेनदेन
42.	शबैवि.बीपीडी.सं.14/ 16.20.000/2007-08	18.09.2007	गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश
43.	शबैवि.बीपीडी.सं.7/ 09.29.000/2006-07	18.08.2006	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में "कब जारी" लेनदेन- लेखाकरण और अन्य पहलू
44.	शबैवि.बीपीडी.सं.1/ 09.09.001/2005-06	11.07.2006	एनएचबी/ हुडको द्वारा जारी विशेष बांडों में निवेश - प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार

सं.क्र.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
45.	शबैवि.बीपीडी.सं.41/ 16.20.000/2005-06	29-03-2006	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - मूल्यन
46.	शबैवि.बीपीडी.सं.31/ 13.01.000/2005-06	17-02-2006	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
47.	शबैवि.बीपीडी.सं.41/ 16.20.000/2004-05	28-03-2005	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - मूल्यन
48.	शबैवि.बीपीडी.सं.16/ 16.20.000/2004-05	02-09-2004	निवेश - वर्गीकरण तथा मूल्यन
49.	शबैवि.बीपीडी.सं.49/ 09.80.00/2004-05	20-06-2005	हाज़िर वायदा लेनदेन
50.	शबैवि.बीपीडी.सं.50/ 09.80.00/2004-05	20-06-2005	सरकारी प्रतिभूति - टी + 1 निपटान
51.	शबैवि.बीपीडी.सं.51/ 09.80.00/2004-05	20-06-2005	प्रारंभिक निर्गमों पर प्रतिभूतियों का निपटान
52.	शबैवि.बीपीडी.सं.37/ 12.05.01/2004-05	26-02-2005	बैंकों का निवेश संविभाग - सूचना देने की प्रणाली
53.	शबैवि.बीपीडी.एसयूबी.परि.5/ 09.80.00/2003-04	28.04.2004	सरकारी प्रतिभूतियों (डीवीपी III) में लेनदेन
54.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.45/ 16.20.00/2003-04	15.04.2004	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात ऋण प्रतिभूतियों में निवेश
55.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.44/ 09.29.00/2003-04	12.04.2004	प्राथमिक निर्गमों के लिए नीलामियों के दौरान उसी दिन आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री
56.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.42/ 09.11.00/2003-04	01.04.2004	सी एस जी एल खातों का बनाए रखा जाना
57.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.35/ 13.05.00/2003-04	27.02.2004	गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों द्वारा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में जमाराशियां रखा जाना
58.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.34/ 13.05.00/2003-04	11.02.2004	अग्रिमों पर अधिकतम सीमा-व्यक्तिगत/समूह उधारकर्ताओं के ऋण - जोखिम की सीमाएं - पूंजी गत निधियों की संगणना
59.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.33/ 09.11.00/2003-04	11.02.2004	सी एस जी एल खाता बनाए रखना

सं.क्र.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
60.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.एफआईआर.26/ 16.20.00/2003-04	02.12.2004	आई सी आई सी आई बैंक लि. के शेयरों में निवेश
61.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.12/ 09.29.00/2003-04	04.09.2003	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - निवेश उतार - चढ़ाव प्रारक्षित निधि संबंधी दिशा-निर्देश
62.	शबैवि.बीपीडी.परि.सं.11/ 09.29.00/2003-04	02.09.2003	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - निवेशों का वर्गीकरण तथा मूल्यन
63.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि. 8/09.29.00/2002-03	16.08.2003	शेयर बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार
64.	शबैवि.बीपीडी.परि.सं.1/ 09.11.00/2003-04	08.07.2003	सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन के संबंध में निपटान - सीसीआईएल के माध्यम से निपटान की अनिवार्यता
65.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.2/09.80.00/2003-04	08.07.2003	भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर प्रतियोगिता के आधार पर बोली लगाने की सुविधा से संबंधित योजना
66.	शबैवि.पीसीबी.56/09.29. 00/2003-04	02.07.2003	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
67.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि. सं.46/16.20.00/2002-03	17.05.2003	गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में जमाराशियों का रखा जाना
68.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.सं. 44/09.80.00/2002-03	12.05.2003	रिपो/रिवर्स रिपो लेनदेनों का एक समान लेखांकन करने से संबंधित दिशा-निर्देश
69.	शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.39/09.29.00 /2002- 03	13.03.2003	शेयर बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार
70.	शबैवि.बीपी.सं.35/16.26. 00/2002-03	18.02.2003	द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य
71.	शबैवि.बीपीडी.एसपीसीबी. परि.सं.9/09.29.00/2002-03	27.01.2003	सरकारी ऋणों के लिए समाधान प्रक्रिया
72.	शबैवि.पॉट.पीसीबी.परि.सं.06/ 09.29.00/2002-03	06.08.2002	शहरी सहकारी बैंकों का निवेश संविभाग - सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
73.	शबैवि.पॉट.पीसीबी.परि.सं.5/ 09.29.00/2002-03	22.07.2002	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन

सं.क्र.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
74.	शबैवि.पॉट.सं.49/09.80.00/ 2001-02	17.06.2002	हाज़िर वायदा लेनदेन
75.	शबैवि.केंका.पॉट.पीसीबी.परि.सं.48/ 09.29.00/2001-02	11.06.2002	बैंकों के निवेश संविभाग में धारित प्रतिभूतियों का प्रमाणीकरण
76.	शबैवि.बीआर.सं.47/16.26. 00/2001-02	07.06.2002	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
77.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.46/09. 29.00/2001-02	06.06.2002	बैंकों का निवेश संविभाग- प्रतिभूतियों में लेनदेन
78.	शबैवि.आयो.एससीबी.परि.सं. 10/ 09.29.00/2001-02	26.04.2002	शहरी बैंकों का निवेश संविभाग - सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन
79.	शबैवि.आयो.पीसीबी.परि.सं.41/ 09.29.00/ 2001-02	20.4.2002	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
80.	शबैवि.बीआर.परि.सं.19/16. 26.00/2001- 02	22.10.2001	बीआर.एक्ट.1949(सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) की धारा 24 - सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
81.	शबैवि.सं.बीआर.6/16.26.00/ 2000-01	09.08.2001	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू) धारा 24- सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
82.	शबैवि.से.केंका.बीएसडी.।. पीसीबी.44/12.05.05/2000-2001	23.04.2001	बैंकों द्वारा किए गए निवेशों के वर्गीकरण तथा मूल्यन संबंधी दिशा-निर्देश
83.	शबैवि.सं.बीआर.परि.42/16. 26.00/2000- 01	19.04.2001	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) - धारा 24 - शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
84.	शबैवि.सं.43/16.20.00/2000-01	19.04.2001	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अन्य संस्थाओं तथा अन्य शहरी सहकारी बैंकों में जमाराशियों के रूप में निधियों का निवेश
85.	शबैवि.सं.पॉट.परि.पीसीबी.39/ 09.29.00/2000	18.04.2001	प्राथमिक निर्गमों की नीलामी में आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री
86.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.परि.22/09.29.00/ 2000-01	30.12.2000	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन - दलालों की भूमिका
87.	शबैवि.आयो.पीसीबी.परि.26/09.80.00/19 99-2000	28.03.2000	हाज़िर वायदा संविदाएं

सं.क्र.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
88.	शबैवि.आयो.18/09.80.00/ 1999-2000	30.12.1999	राज्य सरकार के ऋणों में बैंकों का अपना निवेश - दलाली कमीशन का भुगतान
89.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.04/09.80.00/1999-2000	25.08.1999	हाज़िर वायदा लेनदेन
90.	शबैवि.सं.बीआर.26/18.20. 00/1998-99	07.04.1999	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ कंपनियों में निधियों का निवेश
91.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.डीआई आर.3/09.80.00/1998-99	17.08.1998	आरक्षित हाज़िर वायदा लेनदेन
92.	शबैवि.सं.बीआर.1/16.20.00/98-99	10.07.1998	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश - निवेशों का मूल्यन- यू-एस-64 यूनितें
93.	शबैवि.सं.61/16.20.00/97-98	04.06.1998	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश - निवेश का मूल्यन प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ कंपनियों में यूएस 64 यूनितों की निधियां
94.	शबैवि.सं.अयो.पीसीबी.परि.56/ 09.60.00/97-98	13.05.1998	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों में निवेश
95.	शबैवि.सं.आयो.एसयूबी.20/09. 81.00/97-98	19.02.1998	सरकारी प्रतिभूतियों की रिटेलिंग
96.	शबैवि.सं.बीपी.37/16.20.00/ 1997-98	29.01.1998	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश - निवेशों का मूल्यन
97.	शबैवि.सं.बीएसडी.1.(पीसीबी) 22/12.05.00/97-98	26.11.1997	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निवेश - निवेशों का मूल्यन
98.	शबैवि.सं.आयो.एसयूबी.सं.17/ 09.83.00/1997-98	19.11.1997	मुद्रा बाजार लिखतों/ सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित सांख्यिकीय आँकड़े
99.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.परि.21/09.60.00/ 1997-98	11.11.1997	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों में निवेश
100.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.परि.19/ 09.29.00/1997-98	10.11.1997	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन - दलालों की भूमिका
101.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.56/ 09.60.00/1996-97	06.06.1997	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों में निवेश
102.	शबैवि.सं.डीएस.एसयूबी.परि.7/13.07.00/1996-97	07.01.1997	प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा बिलों की पुनर्भुनाई योजना में अधिशेष निधियों का निवेश

सं.क्र.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
103.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.34/09.29.07/1996-97	30.12.1996	बैंक का निवेश संविभाग – प्रतिभूतियों में लेनदेन
104.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.सं.30/09.82.00/1996-97	27.11.1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनिटों में निवेश
105.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.19/09.29.00/1996-97	11.09.1996	बैंकों का निवेश संविभाग – अप्रयुक्त बीआर फार्म की अभिरक्षा तथा नियंत्रण की प्रणाली
106.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.7/09.60.00/1996-97	19.07.1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों में निवेश
107.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.69/09.29.00/1995-96	21.06.1996	बैंकों का निवेश संविभाग – प्रतिभूतियों में लेनदेन
108.	शबैवि.सं.बीआर.परि.52/16.20.00/95-96	16.03.1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ कंपनियों में निधियों का निवेश
109.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.47/09.60.00/1995-96	29.02.1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा जमा प्रमाण पत्रों में निवेश
110.	शबैवि.सं.बीआर.12/16.20.00/95-96	06.01.1996	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बाँडों में निधियों का निवेश
111.	शबैवि.सं.बीआर.परि.33/16.26.00/95-96	03.01.1996	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 24 – प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
112.	शबैवि.सं.परि.63/16.26.00/94-95	16.06.1995	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 24 – प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
113.	शबैवि.सं.बीआर.परि.53/16.20.00/94-95	24.04.1995	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ कंपनियों में निधियों का निवेश
114.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.32/09.29.00/94-95	24.11.1994	बैंकों का निवेश संविभाग – प्रतिभूतियों का लेनदेन – बैंक रसीदें/ दलालों की भूमिका
115.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.29.09.80.00/94-95	09.11.1994	हाज़िर वायदा लेनदेन

सं.क्र.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
116.	शबैवि.सं.आयो.पीसीबी.14/ 09.80.00/94-95	24.08.1994	हाज़िर वायदा लेनदेन
117.	शबैवि.बीआर.10/पीसीबी. (परि)/16.20.00/94-95	01.08.1994	प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ कंपनियों में निधियों का निवेश
118.	शबैवि.बीआर.परि.72/16.20. 00/93-94	16.05.1994	शहारी सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ कंपनियों में निधियों का निवेश
119.	शबैवि.सं.आयो.(पीसीबी).परि. 56/09.29.00/93-94	11.02.1994	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
120.	शबैवि.सं.आयो.51/09.29.00/ 93-94	20.01.1994	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन- एसजीएल अंतरण फार्म का बाउंस जाना - लगाए जाने वाले दंड
121.	शबैवि.सं.3/09.29.00/93-94	02.08.1993	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन- दलालों के लिए समग्र संविदा सीमा-स्पष्टीकरण
122.	शबैवि.सं.आयो.74.यूबी.81/92-93	17.05.1993	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
123.	शबैवि.सं.आयो.13/यूबी.81/92-93	15.09.1992	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों में लेनदेन
124.	शबैवि.सं.बीआर.1866/ए.12 (19)-87/88	13.06.1988	शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ कंपनियों/ निगमों/ सहकारी संस्थाओं में जमाराशियों के रूप में निधियों का निवेश
125.	शबैवि.सं.डीसी.84/आर.1(बी) 87-88	13.02.1988	बिलों की पुर्नभुनाई योजना - बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से बिलों की पुनर्भुनाई
126.	शबैवि.सं.बीआर.1455/ए.12 (24)-85/86	31.05.1986	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) - धारा 24 - भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी यूनिटों में निवेश
127.	शबैवि.बीआर.871/ए.12(24) -84/85	10.05.1985	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) धारा - 24-राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत किया गया निवेश

सं.क्र.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
128.	शबैवि.बीआर.498/ए.12(24) - 84/85	08.01.1985	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू धारा 24 - प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा सरकारी तथा अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश
129.	शबैवि.सं.डीसी.597/आर.41/ 84-85	31.10.1984	7% पूंजी निवेश बांड
130.	शबैवि.पीएण्डओ.1121/यूबी.63/83-84	01.06.1984	केंद्र/राज्य सरकार के ऋणों में बैंकों का अपना निवेश - दलाली का भुगतान
131.	एसीडी.आईडी(डीसी)1799/ आर. 36/79/80	10.01.1980	7 वर्षिय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों में अभिदान/ की खरीद
132.	एसीडी.आई डी.(डीसी) 1800/ आर.36-79/80	10.01.1980	7 वर्षिय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बांडों में अभिदान/ की खरीद से संबंधित निदेश
133.	एसीडी.बीआर.446/ए.12(19)/ 72-73	01.11.1972	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू धारा 19
134.	एसीडी.बीआर.463/ए-12/ (19)/70-71	09.11.1970	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू धारा 19
135.	एसीडी.बीआर.1/ए.12(19)/68-69	01.07.1968	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू की धारा 19 : अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध
136.	एसीडी.बीआर.3/ए/12 (19) 68-69	01.07.1968	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू की धारा 19 : अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध
137.	एसीडी.बीआर.903/ए.12(19)/ 67-68	22.12.1967	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू धारा 19 : अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध
138.	एसीडी.बीआर.388/ए.11(19) 65-66	01.03.1966	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 : अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध

बी. अन्य परिपत्रों की सूची जिनमें से निवेशों से संबंधित अनुदेशों को भी मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है

क्र. सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	शबैवि.सं.पॉट.पीसीबी.परि.सं.45/09.11 6.00/2000-01	25.04.2001	शहरी (प्राथमिक) सहकारी बैंकों पर पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का लागू होना
2.	शबैवि.केंकां.सं.बीएसडी.।.पीसी बी.(परि)34/12.05.05/ 1999- 2000	24.05.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा का मूल्यन
3.	शबैवि.सं.बीएसडी.पीसीबी.25/ 12.05.05/1999-2000	28.02.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले
4.	शबैवि.सं.आईएण्डएल(पीसीबी)42/ 12.05.00/96-97	20.03.1997	विवेकपूर्ण मानदंड - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले
5.	शबैवि.सं.आईएण्डएल(पीसीबी)68/ 12.05.00/1995-96	10.06.1996	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले - स्पष्टीकरण
6.	शबैवि.सं.आईएण्डएल.(पीसीबी). 61/12.05.00/1994-95	06.06.1995	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यन तथा अन्य
7.	शबैवि.सं.आईएण्डएल.86/12.05. 00/1993-94	28.06.1994	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले
8.	शबैवि.21/12.15.00/1993-94	21.09.1993	बैंकों में धोखाधड़ियों और भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच समिति - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
9.	शबैवि.सं.आईएण्डएल.38/जे.1/ 92-93	09.02.1993	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले
10	शबैवि.बीआर.16/ए.6/1984-85	09.07.1984	बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983
11	एसीडी.आयो.358/यूबी.।/1978-79	20.04.1978	शहरी सहकारी बैंकों पर समिति की रिपोर्ट

12	एसीडी.बी.आर.184/ए.12(19)/ 1978-79	23.08.1979	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर लागू) धारा 10: अन्य सहकारी सोसायटियों में शेयर रखने पर प्रतिबंध
13	एसीडी.बी.आर.760/ए.1/1968-69	23.01.1969	बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968
14	एसीडी.बी.आर.464/ए.12(24)/1968-69	12.11.1968	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर लागू) की धारा 24 : आस्तियों की प्रतिशतता बनाए रखना